राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
रायपुर, छत्तीसगढ़

कार्यकारिणी समिति की बैठक

एजेण्डा

दिनांक - 30/12/2009

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

क्र./रागाशिमि/ई.सी/2009–10/ 2012 रायपुर, दिनांक 17/12/09

प्रति,

समस्त सदस्य
(सूची संलग्न)

विषयः– राजीव गांधी शिक्षा मिशन छ.ग रायपुर की कार्यकारिणी की बैठक की सूचना।

––––––––––00––––––––––

राजीव गांधी शिक्षा मिशन छ.ग रायपुर की कार्यकारिणी समिति की बैठक कार्यकारिणी के अध्यक्ष मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 30/12/2009 को 11.00 बजे पूर्वान्ह कक्ष क्रमांक 208 मंत्रालय रायपुर में आयोजित की गई है।

2. उक्त बैठक का एजेण्डा नीचे पृथक से संलग्न है।

3. अनुरोध है कि उक्त बैठक में उपस्थित होने का कष्ट करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(के.आर.पिस्दा) 18/12/09
मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

बैठक का विवरण

दिनांक–30/12/2009

समय–11.00 बजे पूर्वान्ह

स्थान–कक्ष क्र. 208 मंत्रालय भवन रायपुर

राजीव गांधी शिक्षा मिशन के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सूची

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
3.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर	–	सदस्य
4.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
5.	सचिव एवं आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, जनसम्पर्क विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
6.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
7.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
8.	संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	–	सदस्य
9.	संचालक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण परिषद् शंकरनगर, रायपुर	–	सदस्य
10.	मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	–	सदस्य–सचिव
11.	अतिरिक्त मिशन संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन राज्य परियोजना कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	–	सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य			
12.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
13.	प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन रायपुर	–	सदस्य
भारत शासन के प्रतिनिधि :–			
14.	उप सचिव भारत शासन, प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	–	सदस्य
15.	डॉ. प्रमिला मेनन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	–	सदस्य
16.	वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	–	सदस्य
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मनोनीत सदस्यः–			
17.	माननीय डॉ. बालमुकुन्द देवांगन पूर्व विधायक, विधानसभा खैरथा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	–	सदस्य
18.	माननीय श्री आनन्द सिंघानिया अध्यक्ष, नगर पंचायत, खम्हरिया, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	–	सदस्य

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 30/12/2009 का एजेण्डा

क्रं		एजेण्डा	अपेक्षित निर्णय
A	सर्व शिक्षा अभियान		
	1	कार्यकारिणी की पिछली बैठक दिनांक 17/02/09 का पालन प्रतिवेदन ।	पुष्टि हेतु
	2	वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के अंकेक्षित आय व्यय विवरण का वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन	अनुमोदनार्थ
	3	वित्त और लेखा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा का राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर स्टॉफ की तैनाती का ढांचा।	अनुमोदनार्थ
	4	सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2009–10 का स्वीकृत कार्य योजना ।	अवलोकनार्थ
	5	कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा मद के अन्तर्गत छात्रावास/ आश्रमों में कम्प्यूटर प्रदान करने बाबत्।	अनुमोदनार्थ
	6	अशासकीय संस्था 'प्रथम' के माध्यम से प्राथमिक शाला के बच्चों में गुणवत्ता विकास के लिये रीड छत्तीसगढ़ कार्यक्रम स्वीकृत करने के संबंध में ।	अनुमोदनार्थ
	7	सर्व शिक्षा अभियान वर्ष 2009–10 में स्वीकृत नवाचारी मद अन्तर्गत एजुकेशन किट मद में उपलब्ध राशि के उपयोग बाबत्।	अनुमोदनार्थ
	8	नवाचारी मद से SC/ST शिक्षा अन्तर्गत आश्रम शाला के बालकों को गणवेश प्रदान करने हेतु	अनुमोदनार्थ
	9	नवाचारी मद अन्तर्गत छात्रावासों में आवश्यकतानुसार विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु ।	अनुमोदनार्थ
	10	बिलासपुर जिले में विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त बच्चों के लिये स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से आवासीय विद्यालय का संचालन।	अनुमोदनार्थ
	11	नव निर्मित जिलों (बीजापुर एवं नारायणपुर) तथा राज्य परियोजना कार्यालय के पदों की स्वीकृति बाबत्।	अनुमोदनार्थ

क्रमशः पृष्ठ 2 पर.......

क्रं	एजेण्डा		अपेक्षित निर्णय
B	बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)		
	1	पूर्व माध्यमिक शाला की बालिकाओं को NPEGEL योजना के अन्तर्गत गणवेश प्रदान करने बाबत्	अनुमोदनार्थ
C	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV)		
	1	कस्तूरबा गांधी बालिका (आवासीय) विद्यालय में एक्वागार्ड प्रदान करने बाबत्	अनुमोदनार्थ
D	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA)		
	1	RMSA के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूल भवनों के लिये निर्माण एजेंसी का निर्धारण	अनुमोदनार्थ
	2	RMSA के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूलों के लिये कर्मचारियों का सेटअप स्वीकृत करने बाबत्।	अनुमोदनार्थ
	3	RMSA के अन्तर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूलों के लिये प्राचार्य पदों की पूर्ति बाबत्।	अनुमोदनार्थ
E	शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों (EBB) में माडल स्कूल		
	1	केंद्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत सभी 74 EBB's में मॉडल स्कूलों के लिये सेटअप की स्वीकृति।	अनुमोदनार्थ
F	शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखंडों (EBB) में 100 सीटर कन्या छात्रावास		
	1	केंद्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत EBB's में 100 सीटर कन्या छात्रावासों की स्वीकृति	अनुमोदनार्थ
G	अन्य विषय		
	1	अध्यक्ष महोदय के अनुमति से अन्य विषय पर चर्चा	अनुमोदनार्थ

मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

एजेण्डा (A)—1
(संलग्नक क. 1)

कार्यकारिणी की पूर्व बैठक दिनांक 17.02.2009 का पालन प्रतिवेदन

एजेण्डा कमांक–1:– विगत बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

एजेण्डा क्रमांक–2:–वर्ष 2008–09 की प्रगति एवं वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु।

वर्ष 2009–10 की वार्षिक कार्ययोजना में विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा पश्चात निर्देशित संशोधनों का समावेश करते हुए प्रस्ताव भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की गई।

एजेण्डा क्र. 3 :– ई.सी.सी.ई. योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों को सामग्री प्रदाय करने की स्वीकृति।

ई.सी.सी.ई. योजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दरी प्रदाय हेतु अग्रिम राशि खादी ग्रामोद्योग को दे दी गई है।

एजेण्डा क्र. 4 :– निःशुल्क पाठ्यपुस्तक मद की बचत राशि NPEGEL विकासखण्डों में बालिकाओं की वर्दी हेतु प्रस्ताव।

NPEGEL विकासखण्डों में बालिकाओं के लिए वर्दी प्रदाय हेतु ग्रामोद्योग को राशि रू. 4.32 करोड़ अग्रिम भुगतान कर दी गई है।

एजेण्डा क्र. 5 :– कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को आदिवासी विकास विभाग को प्रशासकीय नियंत्रण हेतु हस्तान्तरण बाबत्।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को आदिवासी विकास विभाग को प्रशासकीय नियंत्रण सौंपने बाबत् कार्यवाही विभाग से समन्वय स्थापित कर की जा रही है।

एजेण्डा क्र. 6 :–सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत खोले गये शालाओं की प्रशासकीय नियंत्रण

दोनों विभाग के सेट–अप वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत होने के कारण शालायें शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी।

एजेण्डा क्र. 7 :–सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष स्वीकृत कार्ययोजनानुसार प्रस्तावित अध्ययनों की स्वीकृति ।

अनुमोदन अनुसार 6 शोध कार्य के लिए संबंधित एजेन्सी को आदेश जारी कर दी गई है।

एजेण्डा क्र. 8 :– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय ।

1. Learning Enhancement के तहत प्रति शाला 400/– रू. जो शिक्षक–पालक सम्मेलन के लिए रखे गए थे, उसमें से 200/– रू. प्रत्येक शाला को शिक्षक पालन सम्मेलन हेतु एवं शेष राशि को निम्न कार्य हेतु उपयोग करने का निम्न विकल्प देते हुए निर्देश जारी किये गये हैं –
   अ) पांचवी एवं आठवी की परीक्षा में बैठने वाले पालकों की परीक्षा शुल्क का भुगतान।
   ब) राज्य साक्षरता मिशन द्वारा तैयार "श्रेष्ठ पालकत्व" पर पुस्तकें क्रय करना।

2. वर्तमान वित्तीय वर्ष की विभिन्न मदों में बचत राशि का पुनर्नियोजन कर उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय करने संबंधी विषय पर अनुमति प्रदान नहीं किये जाने के कारण कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

राजीव गांधी शिक्षा मिशन की
कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2009
कार्यवाही विवरण

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, सर्व शिक्षा अभियान की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 17.02.2009 को शाम 3:00 बजे माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में मंत्रालय कक्ष क्रमांक 208 में आहूत की गई।

बैठक में कार्यकारिणी समिति के निम्नांकित सम्मानीय सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री पी.जाय उम्मेन, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
2. श्री डी.एस.मिश्र, प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. श्री एम.के. राउत, प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, रायपुर।
4. श्री पी सी दलई प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर।
5. श्री नंदकुमार, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
6. सुश्री निधि छिब्बर, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर।
7. श्री ए. के. तिवारी उपसचिव मानव संसाधन मंत्रालय, दिल्ली।
8. श्री एस. के. गुप्ता मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
9. श्री उमेश द्विवेदी संयुक्त सचिव जनसम्पर्क, मंत्रालय, रायपुर।
10. सुश्री गुरप्रीत कौर हुरा सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर।
11. श्री डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी मिशन संचालक एवं सदस्य सचिव राज्य परियोजना कार्यालय, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर।

सर्व प्रथम मिशन संचालक, डॉ. मन्दिर कौर द्विवेदी बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् निम्नानुसार एजेण्डावार विचार किया गया :-

एजेण्डा क्रमांक 01:- कार्यकारणी की पूर्व बैठक दिनांक 16.04.2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी ली गयी कि विगत बैठक की कार्यवाही विवरण के विषय में किसी सदस्य का कोई टीप या सुझाव यदि हो। प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा बैठक दिनांक 16.04.2008 के एजेण्डा क्रमांक 02 के पालन प्रतिवेदन में टीप बावत् अद्यतन स्थिति पूछीं गयी जिसमें उल्लेख था कि उच्च प्राथमिक शाला में फर्नीचर आपूर्ति हेतु मानव संसाधन विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है । मानव संसाधन विकास विभाग को प्रस्ताव भेजा गया था, किन्तु उसे अमान्य किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 02 :– वर्ष 2008–09 की प्रगति एवं वर्ष 2009–10 वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु।

वर्ष 2009–10 की प्रस्तावित वार्षिक कार्ययोजना में निम्नानुसार संसोधन सहित प्रस्ताव मानव संसाधन विकास विभाग को भेजने के लिए अनुमोदित किया गया:-

- निर्माण कार्यो के तहत् नक्सली प्रभावित जिलों में अधिक से अधिक आवासीय आश्रम शाला की मांग की जाए। इसका आवर्ति व्यय राज्य शासन से वहन होगा किन्तु भवन लागत की मांग SSA से की जाए तथा सभी प्रभावित जिलों में 50% की राशि अधोसंरचना की पूर्ति हेतु मांगी जाए।

- "अतिरिक्त कक्ष" आश्रम शाला (आवासीय विद्यालयों) के लिए भी मांगे जाएं।

- 380 ज्ञान ज्योति शालाओं का उन्नयन प्राथमिक शाला में किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ये निर्देश भी दिए गए की समीक्षा कर यह देख लिया जाए कि जिन ज्ञान ज्योति शालाओं में 10 से कम छात्रों की दर्ज संख्या हो उन्हे बंद किया जाए तथा बच्चों को अन्यत्र प्रवेश दिलाया जाए।

- शाला अनुदान व मरम्मत अनुदान के प्रस्ताव में शालाओं की संख्या का परीक्षण कर आवासीय विद्यालयों का भी समावेश किया जाए।

- "नवाचार मद" में "ST/ST " तथा लड़कियों की शिक्षा के घटक के तहत जहां वाशिंग मशीन प्रस्तावित थी, उसे विलोपित किया जाए।
- "नवाचार मद" में "लड़कियों की शिक्षा" के मद के तहत् health improvement program for girls प्रस्तावित था। उसे स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर कराया जाए तथा SSA से इस हेतु मांग न की जाए।

- कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा में मात्र computer operating software तथा antivirus प्रस्तावित किया जाए तथा internet व LCD projector, उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए न मांगें जाए क्योकिं LCD projector हायर सेकण्ड्री व हाई स्कूल के लिए ही वर्तमान स्थिति में अधिक उपयुक्त होगें।

- समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चों के लिए और अधिक कार्यक्रम प्रस्तावित करने के लिए उप संचालक समाज कल्याण के सुझाव लेकर समावेश किया जाए।

- 10+2 पास युवकों को विकलांगता में डिप्लोमा के लिए अध्ययन करवाने के लिए 2 व्यक्ति प्रति जिला के मान से जो प्रस्ताव किया गया था उसे विकलांग बच्चों की संख्या अनुसार बढ़ा दिया जाए।

- REMS मद में आठवीं कक्षा के परीक्षा शुल्क के साथ शाला में दे संबंधित शुल्क को भी इसी मद से वहन किया जाए।

- Learning Enhancement कार्यक्रम के तहत् पुस्तकालयों के लिए प्रस्ताव मान्य नही किया गया क्योकिं यूरोपियन कमीशन के अनुदान से यह गतिविधि पृथक से कि जा रही है। इसी तरह "सुलेख" हेतु प्रतियोगिता के लिए रखी गई राशि भी अमान्य की गई।

उपरोक्तानुसार संसोधित के साथ प्रस्तावित कार्ययोजना अनुमोदित की गयी।

एजेण्डा क्रमांक 03 :– ई.सी.सी.ई योजनान्तर्गत आंगन बांड़ी केन्द्रों को सामग्री प्रदाय करने की स्वीकृति ।

संचालक, महिला एवं बाल विकास के प्रस्ताव अनुसार ECCE मद से बचत राशि से ग्रामोद्योग को अग्रिम देते हुए दरियां क्रय करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 04 :– नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक मद की बचत राशि से NPEGEL विकासखण्डों में बालिकाओं की वर्दी हेतु प्रस्ताव।

नि: शुल्क पाठ्य पुस्तक मद की बजत राशि से (4.32 करोड़) से EBB विकासखण्ड़ों में बालिकाओं हेतु वर्दी क्रय करने के लिए राशि ग्रामोद्योंग विभाग को हस्तांतरण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 05 :– कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को आदिम जाति विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण हेतु हस्तान्तरण बावत्।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का वित्तीय पोषण, निरीक्षण तथा reporting SSA द्वारा किया जाएगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियुक्त शिक्षा कर्मी आदिम जाति कल्याण विभाग से होगें तथा प्रशासकीय नियंत्रण आदिम जाति कल्याण विभाग का रहेगा।

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 06 : सर्व शिक्षा अभियान के तहत् खोले गए शालाओं का प्रशासकीय नियंत्रण।

दोनों विभागों के set up वित्त विभाग से स्वीकृत होने के कारण तद्दानुसार शालाएं हस्तांतरित मानी जाएगी।

एजेण्डा क्रमांक 07:- <u>सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष स्वीकृत कार्य योजना अनुसार प्रस्तावित अध्ययनों की स्वीकृति।</u>

शोध उपसमिति द्वारा प्रस्तावित 06 शोध को उपसमिति के प्रस्ताव अनुसार अनुमोदित किया गया।

एजेण्डा क्रमांक 08 :- अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 02 अन्य विषय रखे गये:-

1. Learning Enhancement के तहत् प्रति शाला 400/- रूपयें, जो शिक्षक-पालक सम्मेलन के लिए रखे गए थे, उसमें से रू. 200 प्रत्येक शाला को शिक्षक पालक सम्मेलन हेतु एवं शेष राशि को निम्न कार्यो हेतु उपयोग करने का विकल्प देने हेतु निर्णय लिया गया :-

(1) पांचवी एवं आठवीं की परीक्षा में बैठने वाले पालकों की परीक्षा शुल्क का भुगतान।

(2) राज्य साक्षरता मिशन द्वारा तैयार "श्रेष्ठ" पालकत्व" पर पुस्तकें क्रय करना ।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया की राशि स्कूलों को हस्तांतरित करते हुए यह निर्देश दिए जाए कि यदि वे चाहे तो शिक्षक-पालक सम्मेलन के साथ इन गतिविधियों में भी व्यय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दूसरा अन्य विषय यह रखा गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की विभिन्न मदों में बजत राशि का पुनर्नियोजन करते हुए उच्च प्राथमिक शालाओं के लिए फर्नीचर क्रय किया जाए। इस प्रस्ताव पर मानव संसाधन विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी दी गयी कि चूंकि फर्नीचर का मद ही 2008-09 के स्वीकृत बजट में सम्मिलित नही है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का पुर्न नियोजित नही किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि चालू वित्तीय वर्ष में बजट की बचत राशि का सार्थक उपयोग ही किया जाए।

अंत में मिशन संचालक द्वारा समस्त सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद प्रकट किया तथा बैठक समाप्ति की घोषणा की गयी।

मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी समिति
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

मिशन संचालक
एवं सदस्य सचिव
कार्यकारिणी समिति
राजीव गांधी शिक्षा मिशन

एजेण्डा कमांक – (A) – 2

–: राजीव गांधी शिक्षा मिशन की कार्यकारिणी के लिए संक्षेपिका :–

विषय :– वर्ष 2007–08 व 2008–09 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण का वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन।

–: संक्षेपिका :–

वर्ष 2007–08 व 2008–09 के अंकेक्षित आय–व्यय विवरण के साथ वार्षिक प्रतिवेदन–सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा जारी वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका (Financial Management and Procurement Rules) की कंडिका 103.1 के अनुसार समिति के द्वारा वर्ष के दौरान किये गये कार्यों से संबंधित एक वार्षिक रिपोर्ट संलग्नक –XVIII में दिये गये प्रपत्र में समेकित वार्षिक विवरण, संलग्नक –XIV में तुलनपत्रक, संलग्नक –XV में आय और व्यय लेखे, संलग्नक–XXI में प्राप्ति और भुगतान तथा लेखा परीक्षित लेखा इस प्रकार है –

1. वर्ष 2007–08 में केन्द्रांश / राज्यांश से प्राप्त कुल राशि रू. 70089.59 लाख में से व्यय 65495.08 लाख व्यय हुआ, वैधानिक अंकेक्षण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
2. वर्ष 2008–09 के वैधानिक अंकेक्षण की प्रति संलग्न है।

अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत है।

मिशन संचालक 16/12/09
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

A/3

एजेण्डा कमांक –(A)-3

–: राजीव गांधी शिक्षा मिशन की कार्यकारिणी के लिए संक्षेपिका :–

विषय :– वित्त और लेखा तथा आंतरिक लेखा परीक्षा का राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर स्टॉफ की तैनाती का ढाँचा।

–: संक्षेपिका :–

सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा मिशन, कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में भारत सरकार द्वारा जारी वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति पर नियम पुस्तिका के कंडिका कमांक 83 स्टॉफ की तैनाती का ढाँचा के उप कंडिका क्र. 83.1 अनुसार राज्य एवं जिला स्तर पर वित्त और लेखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षा का ढाँचा निम्नानुसार निर्देशित है –

राज्य स्तर पर

पदनाम	(न्यूनतम स्टॉफ)	(वर्तमान स्वीकृति)	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन	संभावित वार्षिक वेतन व्यय रू.	पदों को भरने की प्रकिया
वित्त नियंत्रक	01	01	निरंक	15600–39100	6600	निरंक	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
वित्त अधिकारी	01	निरंक	01	15600–39100	5400	22200x12 = **266400**	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
लेखापाल	03	01	02	5200–20200	2800	16000x2x12 = **384000**	प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार या प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने पर संविदा नियुक्ति)
कैशियर	01	01	निरंक	5200–20200	2400	निरंक	–तदैव–
आन्तरिक लेखा परिक्षा अधिकारी	01	निरंक	01	9300–34800	4200	13500x12 =**162000**	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
लेखा परीक्षक	02	निरंक	02	9300–34800	4200	27000x2x12 = **648000**	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
योग	**09**	**03**	**06**			**1460400**	

कमशः 2 पृष्ठ पर ....

जिला स्तर पर (प्रति जिला हेतु)

पदनाम	(न्यूनतम स्टॉफ)	(वर्तमान स्वीकृति)	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित पद	वेतनमान	ग्रेड वेतन	संभावित वार्षिक वेतन व्यय रू.	पदों को भरने की प्रकिया
वित्त अधिकारी	01	निरंक	01	15600–39100	5400	22200x18 x12 = **4795200**	वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति पर
लेखापाल	02	01	01	5200–20200	2800	8000x18x 12 = **1728000**	प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार या प्रतिनुियक्ति पर उपलब्ध न होने पर संविदा नियुक्ति)
कैशियर	01	निरंक	01	5200–20200	2400	7600x18x 12 = **1641600**	–तदैव–
योग	**04**	**01**	**03**			**8164800**	

उपरोक्तानुसार स्टॉफ की कमी के कारण राज्य एवं जिले स्तर पर वार्षिक स्वीकृत कार्य योजना अनुसार मानिटरिंग नहीं होने के वजह से लेखों का सही लेंखांकन तथा वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 का वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार कराने में असुविधा हुई है।

अतः भारत सरकार के उपरोक्त निर्देशानुसार पदों की स्वीकृति हेतु राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत बजट में प्रबंधकीय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा। इसके लिए राज्य शासन के ऊपर अतिरिक्त व्यय भार नहीं होगा।

~~मिशन संचालक~~ 16/12/05
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

एजे०क्र० A/04

परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विषयः– वर्ष 2009–10 की स्वीकृत कार्य योजना अवलोकनार्थ हेतु।

एजेण्डा कमांक (A) - 04

संक्षेपिका

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग द्वारा छत्तीसगढ हेतु वर्ष 2009–10 हेतु सर्व शिक्षा अभियान **NPEGEL** , हेतु एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के कियान्वयन हेतु रूपये 1123.321 करोड़ के वार्षिक योजना एवं बजट की स्वीकृति प्रोजेक्ट एप्रूव्हल बोर्ड की दिनांक 04.03.2009 को आयोजित बैठक में दी गई है। जिसमें सर्वशिक्षा अभियान हेतु 1083.147 करोड़, **NPEGEL** के लिए 11.92 करोड़ एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए 23.59 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

बजट की प्रति अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत।

20/1/09

मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ रायपुर

Districtwise Outlay for 2008-09 - SSA, Chhattisgarh

(Rs lakhs)

Component	Grand Total						
	Spill Over from		Approved 2009-10			Total incl. spill over	
	Phy.	Fin.	Unit cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
A. New School							
New Primary School (for 10 to 25 children)	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New Primary School (for >25 children)	0	0.000	0.00	1	0.000	1	0.000
Upgradation of PS to UPS	0	0.000	0.00	404	0.000	404	0.000
Sub Total	0			405		405	
N. Teachers Salary							
New PS New Teachers Salary SK-III	0	0.000	3.19	2	0.336	2	0.336
New UPS Teachers Salary SK-II	0	0.000	3.83	1212	243.612	1212	243.612
New UPS Teachers Salary Sk-III	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New Head Master Primary	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New UPS teachers for UPS sanctioned in 2002-04	0	0.000	1.40	0	0.000	0	0.000
Additional Teacher Against PTR	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New Additional Teacher Pri. SK-III	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New Addl. Teacher - UPS SK-II	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New Addl. Teacher - UPS SK-III	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
New teachers-SKIII for Gyan Jyoti having >40 children	0	0.000	3.19	380	63.840	380	63.840
Sub Total	0	0.000		1594	307.788	1594	307.788
Teachers Salary (Recurring)							
Primary Teachers Salary SK-III	0	0.000	15.96	17218	14463.120	17218	14463.120
UPS Teachers Salary SK-II	0	0.000	18.62	19760	19364.800	19760	19364.800
UPS Teachers Salary SK-III	0	0.000	15.96	1603	1346.520	1603	1346.520
Additional Teacher PS SK-III	0	0.000	15.96	11445	9613.800	11445	9613.800
Additional Teacher UPS SK-II	0	0.000	18.62	2789	2733.220	2789	2733.220
Additional Teacher UPS SK-III	0	0.000	15.96	2170	1822.800	2170	1822.800
Para Teacher ®	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Other Salary Arriers	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Sub Total	0	0.000		54985	49344.260	54985	49344.260
M. Teacher Grant							
Primary Teacher Grant	0	0.000	0.10	83546	417.730	83546	417.730
Upper Primary Teacher Grant	0	0.000	0.10	50792	253.960	50792	253.960
Sub Total	0	0.000		134338	671.690	134338	671.690
B. Block Resource Centre							
Salary of Resource Persons	0	0.000	15.05	868	687.456	868	687.456
Furniture Grant	0	0.000	9.50	0	0.000	0	0.000
Contingency Grant	0	0.000	3.80	146	29.200	146	29.200
Meeting T.A.	0	0.000	1.71	146	13.140	146	13.140
TLM Grant	0	0.000	0.95	146	7.300	146	7.300
Sub Total	0	0.000		146	737.096	146	737.096
C. Cluster Resource Centre							
Salary of RP	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Furniture Grant	0	0.000	1.90	0	0.000	0	0.000
Contingency Grant	0	0.000	0.57	2169	65.070	2169	65.070
Meeting T.A.	0	0.000	0.68	2169	78.084	2169	78.084
TLM Grant	0	0.000	0.19	2169	21.690	2169	21.690
Sub Total	0	0.000		2169	164.844	2169	164.844
P. Teachers Training							
Inservice (10 days at Block level)	0	0.000	0.19	126121	1261.210	126121	1261.210
Inservice (10 days at Cluster)	0	0.000	0.10	126121	630.605	126121	630.605
New Recruit Trained (30days)	0	0.000	0.57	12276	368.286	12276	368.286
Untrained (60days)	0	0.000	1.14	8217	493.020	8217	493.020
Other (DRG/BRG/CRG) (5days)	0	0.000	0.10	2315	11.575	2315	11.575
Sub Total	0	0.000		275050	2764.696	275050	2764.696

Districtwise Outlay for 2008-09 - SSA, Chhattisgarh

(Rs lakhs)

Component	Grand Total						
	Spill Over from		Approved 2009-10			Total incl. spill over	
	Phy.	Fin.	Unit cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
~~Interventions for Out of School Children~~							
AIE							
NRBC (P)	0	0.000	0.54	5031	142.327	5031	142.327
NRBC (UP)	0	0.000	0.54	3476	98.336	3476	98.336
Seasonal Hostels for Migrants (Residential)	0	0.000	0.95	1131	56.550	1131	56.550
Dormitory for Tribal Students(Residential)	0	0.000	1.90	1200	120.000	1200	120.000
Bridge Course Residential (PS)	0	0.000	1.29	20485	1392.980	20485	1392.980
Bridge Course Residential (UP)	0	0.000	1.29	18571	1262.828	18571	1262.828
Sub Total	**0**	**0.000**		**49894**	**3073.021**	**49894**	**3073.021**
Remedial Teaching							
Remedial Teaching	0	0.000	0.04	198678	397.356	198678	397.356
Sub Total	**0**	**0.000**		**198678**	**397.356**	**198678**	**397.356**
F. Free Text Book							
Free Text Book(P)	0	0.000	0.02	2425721	2328.692	2425721	2328.692
Free Text Book (UP)	0	0.000	0.04	943046	1961.536	943046	1961.536
Sub Total	**0**	**0.000**		**3368767**	**4290.228**	**3368767**	**4290.228**
H. Interventions for Disabled Children	0	0.000	0.23	46153	553.836	46153	553.836
Sub Total	**0**	**0.000**		**46153**	**553.836**	**46153**	**553.836**
Civil Works							
BRC	0	0.000	76.00	0	0.000	0	0.000
CRC	0	29.538	38.00	0	0.000	0	29.538
Primary School (40 children)	0	0.000	88.35	1	4.650	1	4.650
Primary School (10 children)	0	12.000	38.00	0	0.000	0	12.000
Upper Primary School	0	41.540	98.23	404	2088.680	404	2130.220
Prefabricated School Building in Dantewada district (500 seater)	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Building for Primary School sanctioned in previous years under SSA (10 children)	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Building for Primary School sanctioned in previous years under SSA (40 children)	0	33.264	88.35	0	0.000	0	33.264
Building for Upper Primary School sanctioned in previous years under SSA	0	62.296	98.23	0	0.000	0	62.296
Additional Class Room(PS)	0	51.670	38.00	8958	17916.000	8958	17967.670
Additional Class Room(UPS)	0	6.690	38.00	5610	11220.000	5610	11226.690
Toilet/Urinals(PS)	0	0.000	0.75	0	0.000	0	0.000
Separate Girls Toilet	0	0.000	9.50	2691	1345.500	2691	1345.500
Water Facility	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Boundary Wall	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Separation Wall	0	0.000	6.00	380	760.000	380	760.000
Electrification	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Head Master's Room	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Ashramshala (Residential Schools)	0	0.000	53.57	0	0.000	0	0.000
Major Reipairs (Primary)	0	0.000	0.00	325	397.085	325	397.085
Major Reipairs (Upper Primary)	0	0.000	0.00	60	107.733	60	107.733
BALA Concept (in Govt. UPS)	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Other (Boundary Wall)	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Furniture for Govt. UPS students	0	0.000	0.01	0	0.000	0	0.000
Sub Total(Civil Works)	**0**	**236.998**		**18429**	**33839.648**	**18429**	**34076.646**
Furniture for Govt. UPS							
No. of Children	0	0.000	0.10	14107	70.535	14107	70.535
Sub Total(Furniture)	**0**	**0.000**	**0.10**	**14107**	**70.535**	**14107**	**70.535**
Sub Total (Civil+Furniture)	**0**	**236.998**	**0.10**	**32536**	**33910.183**	**32536**	**34147.181**

Districtwise Outlay for 2008-09 - SSA, Chhattisgarh

(Rs. lakhs)

Component	Grand Total						
	Spill Over from		Approved 2009-10			Total incl. spill over	
	Phy.	Fin.	Unit cost	Phy.	Fin.	Phy.	Fin.
O. Teaching Learning Equipment							
TLE - New Primary	0	0.000	3.80	1	0.200	1	0.200
TLE - New Upper Primary	0	0.000	9.50	404	202.000	404	202.000
Other (TLE)	0	0.000	0.50	0	0.000	0	0.000
Sub Total	**0**	**0.000**		**405**	**202.200**	**405**	**202.200**
I. Maintenance Grant							
Maintenance Grant	0	0.000	1.43	41519	2663.050	41519	2663.050
Sub Total	**0**	**0.000**		**41519**	**2663.050**	**41519**	**2663.050**
L. School Grant							
Primary School Grant	0	0.000	0.92	32837	1641.850	32837	1641.850
Upper Primary School Grant	0	0.000	1.28	13192	923.440	13192	923.440
Sub Total	**0**	**0.000**		**46029**	**2565.290**	**46029**	**2565.290**
K. Research and Evaluation							
Research, Evaluation, Monitoring & Supervision State Level	0	0.000	0.02	46029	43.377	46029	43.377
Research, Evaluation, Monitoring & Supervision District Level	0	0.000	0.23	46029	555.000	46029	555.000
Sub Total	**0**	**0.000**		**46029**	**598.377**	**46029**	**598.377**
Management & MIS							
Management & MIS	0	0.000	0.00	6	2230.273	6	2230.273
Learning Enhancement Programme	0	0.000	56.20	5	1702.000	5	1702.000
Sub Total	**0**	**0.000**		**11**	**3932.273**	**11**	**3932.273**
G. Innovative Activity							
ECCE	0	0.000	15.00	18	270.000	18	270.000
Girls Education	0	0.000	15.00	18	270.000	18	270.000
SC/ST Education	0	0.000	15.00	18	270.000	18	270.000
Computer Education	0	0.000	50.00	18	900.000	18	900.000
Urban deprived Children	0	0.000	5.00	18	90.000	18	90.000
Sub Total Innovation	**0**	**0.000**		**18**	**1800.000**	**18**	**1800.000**
Q. Community Mobilization							
Q. Community Mobilization	0	0.000	0.01	169278	101.567	169278	101.567
Sub Total	**0**	**0.000**		**169278**	**101.567**	**169278**	**101.567**
Total SSA	**0**	**236.998**		**4467599**	**108077.755**	**4467599**	**108314.753**
State Component							
Management Cost	0	0.000	0.00	0	465.855	0	465.855
REMS	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Sub Total	**0**	**0.000**		**0**	**465.855**	**0**	**465.855**
Total SSA+State Component	**0**	**236.998**		**4467599**	**108543.610**	**4467599**	**108780.608**
NPEGEL	0	0.000	0.60	1059	1192.464	1059	1192.464
Total NPEGEL	**0**	**0.000**		**1059**	**1192.464**	**1059**	**1192.464**
KGBV							
Total Non Recurring	0	0.000	0.00	0	0.000	0	0.000
Total Recurring	0	0.000	280.17	93	2359.050	93	2359.050
Total KGBV	0	**0.000**		93	2359.050	93	2359.050
Grand Total (SSA+NPEGEL+KGBV)	0	**236.998**		**4468751**	**112095.124**	**4468751**	**112332.121**

Finance Controller
Rajiv Gandhi Shiksha Mission
Chhattisgarh, Raipur

एजेण्डा क्र (A)-5

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विषयः– कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा की प्रकिया पर विचार।

संक्षेपिका

कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा के तहत छत्तीसगढ राज्य के सभी 18 जिलों के लिए 50 लाख प्रति जिले के मान से कुल 9.00 करोड़ की राशि सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत एवं प्रावधानित है। उद्धेश्य यह है, कि प्रारम्भिक शिक्षा अध्ययन करने वाले बालक–बालिकाओं को शिक्षा के साथ साथ कम्प्यूटर शिक्षा से जोडा जाकर उन्हे ऐसी गुणवतापूर्ण शिक्षा दी जाये, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता एवं कौशल में वृद्धि सुनिश्चित हो सके। फलस्वरूप सर्वशिक्षा अभियान अंतर्गत नवाचारी मद में कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा प्रति जिले 50.00 लाख के मान से प्रतिवर्ष वार्षिक कार्ययोजना में राशि स्वीकृत की जाती है।

2. गतवर्ष 2008–09 में उक्त योजना के अंतर्गत कुल 830.00 लाख रूपये की राशि स्वीकृत हुई थी। कम्प्यूटर (मल्टीमीडिया डेक्सटाप, यू.पी.एस., प्रिन्टर,) कय किया गया था। कम्प्यूटर समर्थित शिक्षा का अधिकाधिक लाभ अध्ययनरत बच्चों को मिल सके, इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए ये कम्प्यूटर आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आवासीय प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक शालाओं के होस्टल्स एवं आश्रम शालाओं में 50 विद्यार्थियों के लिए 05 नग तथा 100 सीटर के लिए 10 नग के मान से सभी 18 जिलों के 383 आश्रम शालाओं को कुल 2283 कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये थे। जिसका लाभ इन आवासीय विद्यालयों के 25556 बच्चों को प्राप्त हो रहा है। जिन विद्यालयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये थे, वहां के शिक्षकों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण **Intel** के माध्यम से दिलवाया गया। शालाओं का चयन विद्युत एवं फर्नीचर की उपलब्धता के आधार पर **ACTW** तथा **DPC** के समन्वय से जिला स्तर पर किया गया। जिलेवार जानकारी परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

कमशः......2पर

3. आवासीय विद्यालयों (आश्रम शाला) में कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की अवधारणा यह है, कि सुदूर अंचल के अनूसूचित जाति एवं जनजाति के अध्ययनरत बच्चों में कम्प्यूटर सीखने की ललक एवं क्षमता का विकास कराया जाना संभव हो सके, क्योंकि इन विद्यालयों में बच्चे पूरे समय रहते हैं तथा स्कूल के निर्धारित समय के बाद भी एवं अवकाश दिवसों पर भी कम्प्यूटर शिक्षा का लाभ उठाकर शहरी बच्चों की भांति अपनी क्षमता का विकास कर सकते हैं।

4. गतवर्ष कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2008 को मिशन की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय लिया गया, कि जिले के आवासीय प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (50 विद्यालयों के लिए 05 नग तथा 100 सीटर के लिए 10 नग) के लिए जिला स्तर पर संविदा दर से कम्प्यूटर यू.पी.एस. का कय किया जावे। कम्प्यूटर– यू.पी.एस. कय करते समय जिले द्वारा निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाये–

4.1. प्रदायकर्ता स्वयं CSIDC के दर संविदा का पजीयन रखता हो कोई सब–डीलर न हो।

4.2. प्रदायकर्ता स्वतः निर्माता कम्पनी का अधिकृत डीलर हो। इसकी पुष्टि कंपनी से सीधे (न कि प्रदायकर्ता के माध्यम से) पत्र तथा ई–मेल से ली जानी आवश्यक होगी।

5. सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना 2009–10 में भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृती अनुसार इस वर्ष भी प्रत्येक जिले हेतु रूपये 50.00 लाख के मान से कुल 18 जिलों हेतु रूपये 9.00 करोड़ की राशि कम्प्यूटर समर्थित योजना के अंतर्गत निम्नानुसार उपयोग हेतु प्राप्त हुआ है।

कमश......3 पर

Computer Aided Learning Approved Budget 2009-10				
S.No.	Activities	Details	Proposal	
			Phy.	Fin.
1.	***Infrastructure*** ➢ IT Infrastructure (PC,Printers,IT peripherals)	Computers @ Rs. 35,000/-	2191	766.85
	➢ Non IT Infrastructure (Ceiling, Flooring, Electrification; Earthing ets.)	Operating Software/antivirus @ Rs. 5000/-	2191	109.55
2.	Teacher Training under CAL	All training through INTEL support	Nil	Nil
3.	Content/Software Development	All CDs will be taken by different organizations like EDC,APF,Delhi Caltoons, Vigyan Prasasr, CIET, IGNOU & other organizations		Cost of copying form LEP funds.
4.	Any Other Activity			
5.	Recurring Activities	AMC of old computers in 12 districts at the DPO level		23.60
			Total	**900.00**

6. उक्तानुसार अनुमोदित बजट के आधार पर जिलेवार प्रावधानित कम्प्यूटर का विवरण निम्नानुसार है

S. No.	District	No.of computers Sanctioned	Budget for new computers @ 35000/-	Software/ MSOffice/ Antiviurs @ 5000Rs.	Maintenance upgradation	Total budget	No.of Institutions proposed
1	Bastar	122	42.70	6.10	1.20	50.00	18
2	Bijapur	115	40.25	5.75	4.00	50.00	17
3	Bilaspur	125	43.75	6 25	0	50.00	18
4	Dantewada	117	40.95	5.85	3.20	50.00	17
5	Dhamtari	124	43.40	6.2	0.40	50.00	18
6	Durg	110	38.50	5.50	6.00	50.00	16
7	Janjgir-Champa	119	41.65	5.95	2.40	50.00	17
8	Jaspur	125	43.75	6.25	0	50.00	18
9	Kanker	122	42.70	6.10	1.20	50.00	18
10	Kabirdham	122	42.70	6.10	1.20	50.00	18
11	Korba	125	43.75	6.25	0	50.00	18
12	Koriya	123	43.05	6.15	0.80	50.00	18
13	Mahasamund	125	43.75	6.25	0	50.00	18
14	Narayanpur	122	42.70	6.1	1.20	50.00	18
15	Raigarh	124	43.40	6.2	0.40	50.00	18
16	Raipur	125	43.75	6.25	0	50.00	18
17	Rajnandgaon	121	42.35	6.05	1.60	50.00	18
18	Surguja	125	43.75	6.25	0	50.00	18
	Total	**2191**	**766.85**	**109.55**	**23.60**	**900.00**	**329**

क्रमश.. ..4 पर

7. छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा कुल 1410 आश्रम शाला एवं छात्रावास संचालित हैं, जिनमें से 383 उन आश्रम शाला एवं छात्रावासों को वर्ष 2008–09 में 2283 कम्प्यूटरर्स उपलब्ध कराये गये है जहां विद्युत एवं फर्नीचर की उपलब्धता थी। जिसका चिन्हांकन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास एवं जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

8. अतः गतवर्ष की भांति वर्ष 2009–10 में भी अधिसूचित क्षेत्र के जिलों में स्थित 305 आश्रम शालाओं में तथा गतवर्ष के शेष बचे 24 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में निम्नानुसार कम्प्यूटर प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है।

<u>अ.</u> 329 आश्रम शाला/कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 2191 नग कम्प्यूटर प्रदाय किया जावे। इस कार्य में 766.85 लाख व्यय अनुमानित है।

<u>ब.</u> सभी कम्प्यूटरों में 5000/– के मान से एन्टीवायरस साफ्टवेयर स्थापित करने का कार्य किया जावे। इस कार्य में 109.55 लाख रूपये व्यय अनुमानित है।

<u>स.</u> पिछले वर्ष प्रदाय किये गये कम्प्यूटर के मेन्टेनेन्स के लिए जिलों को 23.60 लाख व्यय करने की अनुमति दी जावे।

<u>द.</u> कम्प्यूटर खरीदी गतवर्ष की भांति राज्य स्तर से किया जावे।

24/11/08

मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ़ रायपुर

गत वर्ष 2008-09 में प्रदाय किये गये कम्प्यूटर उपकरण की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत बजट 2008–09 (राशि रूपये लाख में)	उपलब्धि (15.11.2008)				
			क्रय किये गये कम्प्यूटर/ उपकरण की संख्या		व्यय की गई राशि (रू. लाख में)	लाभान्वित आश्रम शालाओं. छात्रावासो तथा शालाओं की संख्या	लाभान्वित बच्चों की संख्या
			कम्प्यूटर	प्रिंटर			
1	दुर्ग	50	150	–	48.49	18	1500
2	कबीरधाम	40	115	–	39.91	18	1150
3	महासमुन्द	50	119	48	49.98	24	1270
4	कांकेर	50	108	–	42.42	24	1240
5	बस्तर	50	135	–	49.98	23	1370
6	धमतरी	50	153	20	48.16	20	3391
7	रायपुर	50	145	–	47.43	22	1450
8	बीजापुर	20	55	–	18.95	09	550
9	बिलासपुर	50	153	–	48.34	27	1530
10	दंतेवाड़ा	50	140	–	47.12	21	1400
11	जांजगीर–चांपा	50	127	–	44.20	26	1310
12	जशपुर	50	130	–	49.34	18	1625
13	कोरबा	50	143	–	49.76	24	1430
14	कोरिया	50	115	115	41.92	23	1150
15	नारायणपुर	20	55		19.96	08	550
16	रायगढ़	50	130	–	45.24	19	1300
17	राजनांदगांव	50	135	–	48.51	24	1350
18	सरगुजा	50	175	–	48.85	35	1990
	कुल	830	2283	183	788.56	383	25556

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

विषयः—अशासकीय संस्था "प्रथम" के माध्यम से प्राथमिक शाला के बच्चों में गुणवत्ता विकास के लिए "रीड छत्तीसगढ़" कार्यक्रम स्वीकृत करने के संबंध में।

संक्षेपिका

(दिनांक 22.09.2009)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए नये शालाओं की स्थापना, शाला भवन निर्माण, नये शिक्षकों की भरती, शिक्षक प्रशिक्षण के साथ—साथ गुण्सवत्ता विकास का भी कार्यक्रम संचालित किया जाता है, जिसके तहत् बच्चों को सरल तरीके से खेल—खेल में ऐसी विधि से पढ़ाने—सीखाने का कार्य किया जाता है, जिससे उनका मनोरंजन होने के साथ—साथ अक्षर एवं अंक ज्ञान सीखने की क्षमता तथा उसे अभिव्यक्त करने की क्षमता में वृद्धि हो सके।

2/ प्राथमिक स्तर के बच्चों के सीखने की इसी विधि के साथ अशासकीय स्वयं सेवी संस्था "प्रथम" मुंबई (महाराष्ट्र) के द्वारा वर्ष 2007 में अपने स्वयं के व्यय पर सर्वप्रथम दंतेवाड़ा जिले में तथा वर्ष 2008 में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 50 चयनित शालाओं में "रीड छत्तीसगढ़" के नाम से गुणवत्ता विकास कार्यक्रम चलाया गया।

3/ वर्तमान में राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में गांव या बसाहट के 1.00 कि.मी. के भीतर एक प्राथमिक शाला तथा 3.00 कि.मी. के भीतर एक माध्यमिक शाला की स्थापना कर बच्चों के पढ़ने—लिखने के लिए स्कूल की सुविधा की मांग लगभग नही के बराबर है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जिन बसाहटों में न्यूनतम 10 बच्चे भी उपलब्ध हो जाते हैं, वहां सर्व शिक्षा अभियान के मद से "ज्ञान ज्योति" स्कूल खोला गया है, जिसके कारण 6—11 वर्ष के बच्चों को उनके घर के नजदीक के जगहों पर स्कूल की सुविधा मिलने लगी है। इससे प्राथमिक स्तर के कक्षाओं में छात्रों का पंजीयन दर तथा शाला उपस्थिति दर में काफी वृद्धि हुई है। नये खोले गये शालाओं में 40 छात्रों के लिए एक शिक्षक के मान से शिक्षा कर्मीयों के नये पदों का निर्माण कर आवश्यकतानुसार शिक्षक भरती भी किये गये है। शाला भवनों का निर्माण किया गया है तथा नये भरती हुए शिक्षकों को 30 दिन का प्रशिक्षण देकर उन्हें पढ़ाने के कौशल भी सिखाया जाता है, लेकिन जिस परम्परागत् विधि से अभी पठन—पाठन का कार्य किया

जाता हैं, उसमें बच्चों के सीखने की दर काफी धीमी है। परीक्षण करने पर यह पाया गया, कि सीखने की दर काफी धीमी है। परीक्षण करने पर यह पाया गया, कि भाषा एवं कणित के विषय में कक्षा 1 ली से 5 वीं तक के बच्चों की सीखने की औसत दर निम्नानुसार होना पाया गया है :–

भाषा

कक्षा	शून्य	अक्षर	शब्द	परिच्छेद	कहानी	कूल
1	30.00	56.10	11.60	1.90	0.40	100.00
2	12.00	39.00	32.00	12.90	3.50	100.00
3	4.50	18.40	26.30	31.20	19.60	100.00
4	2.90	8.60	14.70	31.70	42.20	100.00
5	1.20	4.70	8.10	24.40	61.70	100.00
कुल	10.20	25.80	18.70	20.30	24.90	100.00

गणित

कक्षा	शून्य	अंक पहचान	जोड़	घटाना	भाग	कूल
1	42.00	49.30	6.90	1.60	0.30	100.00
2	23.00	42.30	22.60	10.90	1.30	100.00
3	11.10	22.30	31.00	26.50	9.20	100.00
4	6.60	12.20	22.00	33.40	25.90	100.00
5	3.10	7.50	16.00	30.20	43.20	100.00
कुल	17.40	27.00	19.80	20.30	15.50	100.00

ऊपर तालिका से स्पष्ट है, कि कक्षा 1 लीं से 5 वीं तक अधिकांश बच्चों की सीखने की दर काफी कम है, जो कि इस उम्र के बच्चों की क्षमता से अत्यन्त न्यून है। अतः विभिन्न प्रयासों के माध्यम से उसे बढ़ाये जाने का आवश्यकता है।

4/ बच्चों की उक्त स्थिति को देखते हुए स्वयं सेवी संस्था "प्रथम" के द्वारा भाषा एवं गणित, इन दो विषयों में सीखने का कौशल विकास का कार्य किया गया, जिसे "रीड छत्तीसगढ़" के नाम से चयनित शालाओं में संचालित किया गया। "रीड छत्तीसगढ़" कार्यक्रम के निम्न उद्वेश्य निर्धारित किये गये :–

1. कक्षा 1 लीं एवं 2 री के लिए :–

भाषा में सभी बच्चों को अक्षर एवं शब्द पढ़ना चाहिए। गणित में सभी बच्चों संख्या पहचान एवं सरल जोड़–घटाना आना चाहिए।

2. कक्षा 3 री से 5 वीं के लिए :–

भाषा में सभी बच्चों को धाराप्रवाह पढ़ना आना चाहिए एवं गणित में भाग तक के सवाल हल करना आना चाहिए।

इसके तहत् बच्चों को उनके नियमित पाठ्य पुस्तक के अलावा चित्रात्मक कार्ड (रीडिंग कार्ड), जाली करेंसी नोट आदि विविध पठन सामग्रियों के माध्यम से मनोरंजनपूर्ण ढंग से बच्चों को भाषा एवं गणित की शिक्षा दी जाती है, जिससे उन्हें खेल–खेल में सीखने तथा समझने का अवसर मिलता है। भाषा एवं गणित को रटकर याद करने की आवश्यकता नही पड़ती है। इस कार्यक्रम को चलाने के लिए "प्रथम" संस्था के द्वारा चयनित शालाओं से संबंधित जिले में 2–2 मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए गये। इन मास्टर ट्रेनर्स का का प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों के द्वारा दिया गया। तत्पश्चात् इन मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जिलों में चयनित शालाओं के संकुल समन्वयकों एवं शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद शालाओं को रीडिंग कार्ड एवं जाली करेंसी नोट आदि पठन सामग्री "प्रथम" संस्था के द्वारा प्रदाय किया गया तथा पठन अवधि में प्रथम संस्था के द्वारा जिलेवार नियुक्त प्रतिनिधियों के द्वारा शाला स्तर पर जाकर शिक्षकों को सहयोग प्रदान किया गया। उपरोक्तानुसार कार्य करने के बाद नियमित परीक्षा के अलावा वर्ष 2008 में चयनित शालाओं में बच्चों की प्रगति का पुर्नमूल्यांकन किया गया, जिसके परिणाम निम्नानुसार रहे है।

भाषा

	रीड छत्तीसगढ़ के पूर्व						रीड छत्तीसगढ़ के बाद					
कक्षा	शून्य	अक्षर	शब्द	परिच्छेद	कहानी	कुल	शून्य	अक्षर	शब्द	परिच्छेद	कहानी	कुल
1	30.00	56.10	11.60	1.90	0.40	100.00	4.80	35.70	41.70	15.20	2.80	100.00
2	12.00	39.00	32.00	12.90	3.50	100.00	1.60	15.20	38.40	32.60	12.20	100.00
3	4.50	18.40	26.30	31.20	19.60	100.00	0.60	5.10	18.00	33.90	42.40	100.00
4	2.90	8.60	14.70	31.70	42.20	100.00	0.30	2.5	6.90	22.60	67.70	100.00
5	1.20	4.70	8.10	24.40	61.70	100.00	0.10	0.90	3.40	12.40	83.20	100.00
कुल	10.20	25.80	18.70	20.30	24.90	100.00	1.50	12.10	22.10	23.40	40.90	100.00

गणित

	रीड छत्तीसगढ़ के पूर्व						रीड छत्तीसगढ़ के बाद					
कक्षा	शून्य	अंक पहचान	जोड़	घटाना	भाग	कूल	शून्य	अंक पहचान	जोड़	घटाना	भाग	कूल
1	42.00	49.30	6.90	1.60	0.30	100.00	42.00	49.30	6.90	1.60	0.30	100.00
2	23.00	42.30	22.60	10.90	1.30	100.00	23.00	42.30	22.60	10.90	1.30	100.00
3	11.10	22.30	31.00	26.50	9.20	100.00	11.10	22.30	31.00	26.50	9.20	100.00
4	6.60	12.20	22.00	33.40	25.90	100.00	6.60	12.20	22.00	33.40	25.90	100.00
5	3.10	7.50	16.00	30.20	43.20	100.00	3.10	7.50	16.00	30.20	43.20	100.00
कुल	17.40	27.00	19.80	20.30	15.50	100.00	17.40	27.00	19.80	20.30	15.50	100.00

ऊपर तालिका से स्पष्ट है कि "रीड छत्तीसगढ़" कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के सीखने की दर में काफी वृद्धि हुई है तथा यह प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा तथा गणित के ज्ञान के लिए काफी उपयोगी है। इसमें बच्चों को पाठ्य सामग्री रटना नहीं पड़ता है, बल्कि खेल–खेल में वे सीखते हैं तथा उसे अभिव्यक्त करने की उनमें क्षमता विकसित होती हैं। संबंधित जिला परियोजना समन्वयकों से प्राप्त अभिमत से उक्त कार्यक्रम बच्चों के लिए अत्यन्त उपयोगी होना पाया गया है।

5/ उपरोक्तानुसार कार्यक्रम के लिए "प्रथम" संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के किसी भी विभाग से या सर्व शिक्षा अभियान के मद से कोई आर्थिक सहयोग या अनुदान की न तो मांग की गई है, और न ही उन्हें कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। उक्त कार्यक्रम को अभी तक उनके द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर संचालित किया जाता रहा है तथा सर्व शिक्षा अभियान से केवल शिक्षकों को सहयोग करने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने, प्रशिक्षित विधि को पठन–पाठन में अपनाने तथा प्रथम संस्था द्वारा दी गई पाठ्य सामग्री का उपयोग करने आदि के निर्देश दिये गये थें। "प्रथम" संस्था एक राष्ट्रीय स्तर की स्वयं सेवी संस्था है, जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करतीं है। उनके द्वारा यह सूचित किया गया है, कि उन्हें इस हेतु बाहरी दानदाताओं से अनुदान मिलने में कमी आ गई है। जिसके कारण उन्हें आंशिक रूप से शासन सहयोग की जरूरत है। अतः चालू वर्ष 2009 में उनके द्वारा सर्व शिक्षा अभियान से आर्थिक सहयोग की मांग की गई। वे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 16 जिलों के 146 विकास खण्डों में विचाराधीन कार्यक्रम को चलाना चाहते हैं। इसके लिए उनके द्वारा "रीड छत्तीसगढ़ फेस–2" कार्यक्रम का विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसकी कुल लागत 147.49 लाख रूपयें है। उक्त परियोजना प्रस्ताव के अनुसार संक्षेप में मदवार आवश्यकता की जानकारी निम्नानुसार है :–

Particulars	
No. of Districts	16
No. of Blocks	146
Pratham personnel cost	
One /District coordinators per district @ Rs. 7,500/- p.m.	13,50,000.00
For 10 months	
Block Resource Persons : 2 person per block for 10 month	51,10,000.00
@ Rs. 1,750/- (Rs. 3,500 per block)q	
Zone In-charge @ Rs. 15000/- (4)	6,00,000.00
English Coordinator @ 12,000/- (1)	1,20,000.00
Program. Head @ Rs. 20,000.00 p.m.	2,00,000.00
Sub total	73,80,000.00
Pratham admin. Cost (5% of Pratham praposed	3,69,000.00
Expenditure)	
Material cost @ Rs. 200/- per school	70,00,000.00
(35000 School)	
Sub total	73,69,000.00
TOTAL	1,47,49,000.00
Pratham's share	33,09,000.00
Cost to be born by RGSM :-	
To be paid to Prathem personnel coat	44,40,000.00
Cost of material	70,00,000.00
TOTAL	1,47,49,000.00

6/ प्रथम संस्था के द्वारा उपरोक्तानुसार कुल लागत 147.49 लाख रूपयें में से सर्व शिक्षा अभियान से निम्नानुसार अनुदान की मांग की गई है :–

(क) संचालन व्यय – 44.40 लाख रूपये

(ख) सामग्री व्यय – 70.00 लाख रूपये

योगः– – **114.40 लाख रूपये**

इस तरह प्रथम संस्था के द्वारा कुल परियोजना लागत 147.49 लाख रूपये के विरूद्ध सर्व शिक्षा अभियान से 114.40 लाख रूपये अनुदान की मांग की गई है।

7/ उक्त कार्यक्रम के गत वर्ष के परिणामों को देखते हुए सर्व शिक्षा अभियान के चालू वर्ष 2009–10 के वार्षिक कार्ययोजना में कुल 394.28 लाख रूपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो कि भारत शासन से स्वीकृत/अनुमोदित है। इस तरह उक्त कार्यक्रम के उपयोगिता तथा महत्व को देखते हुए उसे सर्व शिक्षा अभियान के मद से अनुदान स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8/ इस संबंध में "प्रथम" संस्था के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है, कि उन्हें केवल संचालन व्यय की जरूरत होगी, सामग्री की व्यवस्था राजीव गांधी शिक्षा मिशन से किया जा सकता है। इस पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यक्रम को चलाने के लिए प्रथम को संचालन व्यय के रूप में 44.40 लाख रूपये भुगतान करनी होगी तथा सामग्री लागत 70.00 लाख रूपये की व्यवस्था राजीव गांधी शिक्षा मिशन से करनी होगी।

9/ उपरोक्त स्थित को देखते हुए निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया जांना प्रार्थित है :–

1. प्रदेश के प्राथमिक शाला के बच्चों के गुणवत्ता विकास के लिए चालू वर्ष 2009–10 में "रीड छत्तीसगढ़ फेस–2" का कार्यक्रम संचालित किया जावे।
2. उक्त कार्यक्रम अशासकीय स्वयंसेवी संस्था "प्रथम" मुंबई (महाराष्ट्र) के सहयोग से प्रदेश के समस्त प्राथमिक शालाओं में संचालित किया जावे।
3. उक्त कार्यक्रम के लिए प्रथम संस्था द्वारा प्रस्तुत 147.49 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जावे।
4. स्वीकृत लागत में से संचालन व्यय की राशि 44.40 लाख रूपये का भुगतान कार्य प्रगति के आधार पर न्यूनतम 2 किश्तों में संबंधित संस्था को किया जावे।
5. पठन सामग्री की व्यवस्था स्वीकृत राशि के विरूद्ध राजीव गांधी शिक्षा मिशन से किया जावे

22/7/09

(के.आर.पिस्दा)
राज्य मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

संक्षेपिका

विषयः– सर्वशिक्षा अभियान की वर्ष 2009–10 में स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार नवाचारी मद अंतर्गत ऐजूकेशन किट मद में उपलब्ध राशि के उपयोग बावत।

सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2009–10 में नवाचारी मद अंतर्गत बालिका शिक्षा उपमद में 1,11,360 उच्च प्राथमिक शालाओं की बालिकाओं हेतु रूपये 175/– प्रति बालिका के मान से ऐजूकेशन किट दिये जाने हेतु रूपये 194.88 लाख राशि स्वीकृत एवं प्रावधानित है। इसी तरह SC/ST मद अंतर्गत उच्च प्राथमिक शालाओं के 83,976 छात्र/ छात्राओं हेतु 175/– रूपये प्रति बच्चें के मान से ऐजूकेशन किंट दिये जाने हेतु 146.96 लाख रूपये की राशि स्वीकृत एवं प्रावधानित है/इस तरह कुल 1,95,336 बालक/बालिकाओं हेतु रूपये 175/– प्रति के मान से कुल 341.84 लाख रूपये की राशि जिलों में उपयोग हेतु उपलब्ध है। राज्य के किसी भी जिले द्वारा राशि का अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है।

उक्त राशि के उपयोग के संबध में मिशन के पांच सदस्य अधिकारियों की बैठक दिनांक 13.10.2009 में निर्णय लिया गया है कि एजूकेशन किट हेतु यूनिट कास्ट मात्र 175/– रूपये प्रावधानित है। अतः उपलब्ध राशि से ऐजूकेशन किट में यूनिफार्म, जूता,टाई बेल्ट, स्कूल बैग ,कम्पास आदि दिया जाना संभव नहीं हो सकेगा,/अतः गुणवता को ध्यान में रखते हुए केवल स्कूल बैग ही प्रदाय किया जाय,/इस संबध में यदि उच्च स्तर से राज्य स्तर पर स्कूल बैग कय करने के निर्देश प्राप्त होते हैं, तो छ0ग0 राज्य हाथकरधा विकास एवं विपणन सहकारी संघ रायपुर एवं छ0ग0 खादी तथा ग्रामोंद्योग रायपुर से स्कूल बैग का दर एवं नमूना मंगाया जाय स्कूल बैग पर सर्वशिक्षा अभियान के मोनो प्रिन्ट कराया जाय।

सामग्री का कय यदि जिला स्तर पर किया जाने का निर्णय लिया जाता हैं तो समस्त जिलों को उक्त सामग्री छ0ग0 शासन भण्डार कय नियम से किये जाने सबंधी दिशा–निर्देश जारी किये जायें।

उक्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव मिशन की कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ रायपुर

एजेण्डा क्र० A/08

परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विषय:— सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत नवाचारी मद से **SC/ST** शिक्षा अंतर्गत आश्रम शाला के बालकों को गणवेश प्रदान करने हेतु राशि के उपयोग बावत।

संक्षेपिका

सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2009–10 में नवाचारी मद में SC/ST उपमद में आश्रम शालाओं के बालकों को गणवेश प्रदान करने हेतु राज्य के 18 जिलों में से 16 जिलों के 13466 बालकों हेतु रू 250/– प्रति बालक के मान से कुल 33.67 लाख की राशि स्वीकृत एवं प्रावधानित है, जिसका जिलेवार विवरण पृथक से सलग्न है।

2. सर्वशिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना के नवाचारी मद में केवल बालकों हेतु गणवेश का प्रावधान रखे जाने का उद्धेश्य यह है, कि आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित सयुंक्त आश्रम शालाओं में संबधित विभाग द्वारा केवल बालिकाओं हेतु गणवेश दिये जाने का प्रावधान है। अतः बालकों को भी गणवेश मुहैया कराये जाने से शालाओं के शैक्षणिक वातावरण में समानता आ सकेगी।

3. आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग द्वारा कक्षा पहली से पांचवी के SC/ST के बालिकाओं के लिए 4.25 लाख गणवेश प्रदाय किया जा रहा है। इसी भांति शिक्षा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 1.79 लाख अनुसूचित जनजाति के 2.12 लाख, पिछडा वर्ग के 5.09 लाख एवं सामान्य वर्ग की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की 37804 बालिकाओं के लिए स्कूल ड्रेस प्रदाय किये जा रहे हैं। दोनो विभागों के गणवेश वितरण की वर्तमान व्यवस्था में बालक पूरी तरह छूट जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी जिलों में प्रायमरी शाला स्तर के बहुत से सयुंक्त आश्रम चलाये जा रहे हैं, जिससे एक ही आश्रम में अलग–अलग कमरों में बालक–बालिकाऐं रहती हैं। इनमें बालिकाओं को गणवेश दिया जा रहा हैं, लेकिन बालक इस लाभ से वंचित हो रहे हैं।

क्रमंश........2 पर..

3. अतः उक्तानुसार संयुक्त आश्रमशाला के बालकों को भी छ.ग. हाथकरधा विकास एवं विपणन संस्थान से प्राप्त दर रूपये 193/– प्रति सेट के हिसाब से कुल 13466 सेट गणवेश क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसपर लगभग 33.67 लाख का व्यय होना संभावित है। उक्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय हेतु प्रस्ताव राजीव गांधी शिक्षा मिशन की राज्य कार्यकारिणी समिति से पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन हेतु सादर प्रस्तुत है।

मिशन संचालक, 24/1/08
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ रायपुर

S.No.	District	Uniform for Boys in Ashram Shalas		
		No. of Stu.	Unit Cost	Fin
1	Bastar	2695	0.00250	6.74
2	Bijapur	655	0.00250	1.64
3	Bilaspur	1325	0.00250	3.31
4	Dantewada	624	0.00250	1.56
5	Dhamtari	100	0.00250	0.25
6	Durg	70	0.00250	0.18
7	Janjgir_Champa	469	0.00250	1.17
8	Jashpur	1025	0.00250	2.56
9	Kanker	240	0.00250	0.60
10	Kawardha		0.00250	0.00
11	Korba	260	0.00250	0.65
12	Korea	455	0.00250	1.14
13	Mahasamund	70	0.00250	0.18
14	Narayanpur	1929	0.00250	4.82
15	Raigarh	0	0.00250	0.00
16	Raipur	345	0.00250	0.86
17	Rajnandgaon	210	0.00250	0.53
18	Surguja	2994	0.00250	7.49
Total		**13466**	**0.00250**	**33.67**

एजेण्डा क्र0 A/09

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान

विषयः– वर्ष 2009–10 की स्वीकृत कार्य योजना में नवाचारी मदअंतर्गत छात्रावासों में आवश्यकतानुसार विशेष सुविधा प्रदाय करने बावत।

संक्षेपिका

भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा छत्तीसगढ हेतु वर्ष 2009–10 हेतु सर्व शिक्षा अभियान के नावाचारी मद अंतर्गत बालिका शिक्षा एवं SC/ST शिक्षा के अंतर्गत छात्रावासों में आवश्यकतानुसार विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नानुसार राशि प्रावधानित हैः–

क्र0	घटक	आश्रम शालाओं की संख्या	कुल प्रावधानित राशि (लाख में)
1.	बालिका शिक्षा	250	32.20
2.	SC/ST शिक्षा	312	38.40
	योग	562	70.60

2. भारत शासन द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के अनुसार विशेष सुविधा हेतु प्रावधानित राशि से आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिले के आश्रम छात्रावासों में टी.वी.डिश ऐंटीना सहित सुविधा प्रदान किया जाना है, ताकि वहां के गोढ़ी बोली वाले बच्चे टी वी. के माध्यम से प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सके एवं हिन्दी भाषा सीख सकें। अन्य क्षेत्र के छात्रावास आश्रमों में शुद्ध पेयजल उपकरण (Water Purifier) प्रदाय किया जाना है। इस हेतु छात्रावास आश्रम संख्या तथा आवश्यक सामग्री की मात्रा एवं अनुमानित व्यय की जानकारी प्रपत्र "एक" में नीचे रखे अनुसार है। तदानुसार 96 टी.व्ही. डिस, ऐंटीना सहित तथा 466 वाटर प्यूरीफायर कय करने में **70.60** लाख रूपये का व्यय अनुमानित है।

3. अतः प्रकरण पर निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना हैः–

नवाचारी मद के अंतर्गत छात्रावासों में आवश्यकतानुसार विशेष सुविधा प्रदान करने हेतु प्रावधानित उपरोक्तानुसार राशि से 96 छात्रावासों आश्रमों में एक–एक टी.व्ही. डिस ऐंटीना सहित तथा 466 छात्रावास/आश्रमों में एक–एक वाटर प्यूरीफायर अनुमानित लागत लागत 70.60 लाख रूपये कय करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

24/11/09

मिशन संचालक,
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ रायपुर

परिशिष्ट 1

विषय:— वर्ष 2009—10 की स्वीकृत कार्य योजना में नवाचारी मदअंतर्गत छात्रावासों में आवश्यकतानुसार विशेष सुविधा प्रदाय करने बावत।

क0	जिला	कुल आश्रमशाला /छात्रावास	विशेष सुविधा हेतु प्रस्तावित आश्रमशाला /छात्रावास	टी.व्ही. डिश ऐंटीना सहित @25,000 /Unit	वाटर प्यूरीफायर @10,000 /Unit	कुल अनुमानित लागत (लाख में)
1	बस्तर	243	32	00	32	3.20
2	बिलासपुर	145	31	00	31	3.10
3	बीजापुर	164	48	48	00	12.00
4	दंतेवाडा	203	48	48	00	12.00
5	धमतरी	49	24	00	24	2.40
6	दुर्ग	89	00	00	00	00.00
7	जांजगीर	82	25	00	25	2.50
8	जशपुर	129	50	00	50	5.00
9	कांकेर	133	38	00	38	3.80
10	कोरबा	149	30	00	30	3.00
11	कबीरधाम	79	42	00	42	4.20
12	कोरिया	85	21	00	21	2.10
13	महासमुन्द	87	42	00	42	4.20
14	नारायणपुर	91	32	00	32	3.20
15	रायगढ	127	06	00	06	0.60
16	रायपुर	142	30	00	30	3.00
17	राजनांदगांव	114	12	00	12	1.20
18	सरगुजा	272	51	00	51	5.10
	योग	**2383**	**562**	**96**	**466**	**70.60**

मिशन संचालक 24/11/08
राजीव गांधी शिक्षा मिशन,
छत्तीसगढ रायपुर

एजे०3/क्र० A/10

राज्य परियोजना कार्यालय

राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विषय :— बिलासपुर जिलें में विशेष आवश्यकता वाले निःशक्त बच्चों के लिए स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से आवासीय विद्यालय का संचालन।

/ / संक्षेपिका / /

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत तथा पदेन जिला परियोजना संचालक राजीव गांधी शिक्षा मिशन, बिलासपुर से उनके पत्र दिनांक 13.10.2009 के माध्यम से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (निःशक्त बच्चों) के लिए 02 निजी स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से आवासीय विद्यालय के संचालन की अनुमति चाही गयी है। उनके द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि 20 श्रवण बाधित बच्चों के शिक्षण के लिए स्वयं सेवी संस्था बिलासपुर डेफ एसोसिएशन द्वारा आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। उक्त संस्था 13 वर्षो से कार्यरत है इसी तरह एक अन्य स्वंय सेवी संस्था हेण्डिकेप वोकेशनल सोसायटी बिलासपुर के द्वारा 25 मानसिक विकलांग बच्चों के लिए पिछले वर्ष 2008—09 से आवासीय विद्यालय चलाया जा रहा है। चालू वर्ष में 25 अतिरिक्त मानसिक विकलांग बच्चों को संस्था में प्रवेश दिलाया गया है। इस तरह उनके द्वारा 60 बच्चों को शिक्षण कार्य किया जा रहा है। उक्त दोनों संस्थाओं को आवासीय शिक्षण व्यवस्था चलाने के लिए जिला कलेक्टर बिलासपुर द्वारा अनुमोदन दिया गया है। अतः उनके द्वारा उक्त दोनों संस्थाओं के माध्यम से आवासीय विद्यालय चलाने की अनुमति चाही गयी है।

2. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अधिक उम्र के शाला त्यागी/शाला अप्रवेशी बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए Residecial Bridge Course (RBC) चलाने का प्रावधान है। विभिन्न जिलों में आवश्यकता के अनुसार जिला स्तर पर जिला कलेक्टरों द्वारा (RBC) संचालन की अनुमति दी जाती है। ये (RBC) शासकीय अमलों के माध्यम से चलाये जाते है अतः वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत बजट प्रावधान के अनुसार कार्य करने के लिए कलेक्टर एवं जिला मिशन संचालक अपने स्तर पर स्वयं सक्षम होते है। विचाराधीन मामले में निःशक्त बच्चों के लिए (RBC) का संचालन नीजि संस्था के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य कार्यालय का अनुमोदन आवश्यक है।

क्रमशः 02 पर

3. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (निःशक्त बच्चों) के लिए समावेशी शिक्षा मद के कई तरह के प्रयास किये जाते है तथा इनके लिए मोबाईल स्त्रोत सलाहकार भी जिलों में नियुक्त किया गया है। समावेशी शिक्षा के अन्तर्गत निःशक्त बच्चों को उनके गॉव के शाला मे पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है। विचाराधीन मामलों में निःशक्त बच्चों के लिए कार्यरत नीजि संस्थाओं द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। अतः एक स्वरूप के विकलांगता वाले बच्चों को एक जगह रखकर उनके पठन–पाठन की व्यवस्था की जा रही है।

4. (RBC) मद में जिलों में पर्याप्त राशि उपलब्ध है। अतः प्रस्तावित है कि :–

बिलासपुर जिलें में बिलासपुर डोप ऐसोसिएशन को चालू वर्ष 2009–10 में 20 श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय के लिए तथा हेण्डिकेप वोकेशनल सोसायटी बिलासपुर को 60 मानसिक विकलांग बच्चों के लिए चालू वर्ष 2009–10 में सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार आवासीय विद्यालय संचालन की अनुमति दी जावें।

19/11/09

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

एजेण्डा क्र० A-11

एजेण्डा कमांक -

विषयः--राज्य के नव निर्मित जिलों तथा राज्य परियोजना कार्यालय के लिये पदों की स्वीकृति एवं राज्य परियोजना कार्यालय के रिक्त पदों में भर्ती हेतु मिशन संचालक को अधिकृत किये जाने के संबंध में।

संक्षेपिका

(1) सर्व शिक्षा अभियान के विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन के लिए जिला स्तर हेतु पूर्व में मिशन की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 19.08.2004 के एजेण्डा कमांक 2 अनुसार मिशन के राज्य एवं जिला स्तर के पदों की स्वीकृति तथा प्रतिनियुक्ति एवं संविदा से पद भरने की अनुमति प्रदान की गई। (परिशिष्ट "अ" संलग्न) । तद्नुसार **नव निर्मित जिला बीजापुर एवं नारायणपुर** के जिला परियोजना कार्यालयों हेतु पदों की स्वीकृति हेतु प्रत्येक कार्यालय का प्रस्ताव निम्नानुसार है–

स.क.	पद नाम	स्वीकृति हेतु पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों को भरने की प्रकिया
1	जिला परियोजना समन्वयक	1	15600–39100	5400	प्रतिनियुक्ति से (छत्तीसगढ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार)
2	सहायक कार्यकम समन्वयक (वित्त)	1	15600–39100	5400	प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार या प्रतिनियुक्ति पर उपलब्ध न होने पर संविदा नियुक्ति
3	प्रोग्रामर	1	15600–39100	5400	तदैव
4	सहायक अभियंता	2	15600–39100	5400	तदैव
5	सहायक कार्यकम समन्वयक(बजट एवं योजना)	1	9300–34800	4300	तदैव
6	सहायक कार्यकम समन्वयक(मानिटरिंग सुपरविजन एवं आई.ई.डी)	1	9300–34800	4300	तदैव
7	सहायक कार्यकम समन्वयक(शोध मूल्यांकन एवं प्रशिक्षण)	1	9300–34800	4300	तदैव
8	सहायक कार्यकम समन्वयक(इक्विटी, बालिका शिक्षा एवं एन.पी.ई.जी.ई.एल.)	1	9300–34800	4300	तदैव
9	लेखापाल	1	5200–20200	2400	तदैव
10	सहायक ग्रेड–2	1	5200–20200	2400	तदैव
11	डाटाएन्ट्री आपरेटर	3	5200–20200	2200	तदैव
12	सहायक ग्रेड–3	2	5200–20200	1900	तदैव
13	वाहन चालक	1	5200–20200	1900	तदैव
14	भृत्य / चौकीदार	2	कलेक्टर दर / संविदा वेतन		कलेक्टर दर / संविदा वेतन
	योग--	19			

अतः नव निर्मित जिला बीजापुर एवं नारायणपुर के जिला कार्यालय हेतु 19–19 कुल 38 पदों का निर्माण एवं इस पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्त करने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राज्य कार्यकारिणी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन सर्व शिक्षा अभियान के वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत कुल बजट के प्रबंधकीय मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

(2) राज्य कार्यालय में वर्तमान में सहायक कार्यक्रम समन्वयक, सहायक संचालक के कम पद स्वीकृत हैं तथा उप संचालक का एक भी पद स्वीकृत नहीं है।, जबकि कार्यरत अधिकारियों को न सिर्फ राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा करना पड़ता है, बल्कि विभिन्न प्रदेशों में सेमीनार व समीक्षा बैठकों आदि में जाना पड़ता है, जिससे राज्य परियोजना कार्यालय के कार्य प्रभावित होते है। वर्तमानमें " शिक्षा का अधिकार " अधिनियम लागू हो जाने से राज्य परियोजना कार्यालय की जिम्मेदारी और बढ़ गई है।

इस हेतु राज्य परियोजना राज्य कार्यालय के स्वीकृत पदों में निम्नानुसार वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

स.क्र.	पद नाम	स्वीकृति हेतु पद संख्या	वेतनमान	ग्रेड वेतन	पदों को भरने की प्रकिया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	उप संचालक	निरंक	02	15600–39100	प्रतिनियुक्ति से(छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार)
2	सहायक संचालक	04	01	15600–39100	तदैव
3	सहायक कार्यक्रम समन्वयक	08	01	9300–34800	तदैव
4	वरिष्ठ लिपिक सहायक ग्रेड–02	02	03	5200–20200	प्रतिनियुक्ति से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार या प्रतिनियुक्ति पद उपलब्ध न होने पर संविदा नियुक्ति
5	डाटा एन्ट्री आपरेटर	04	01	5200–20200	तदैव
6	भृत्य	10	01	संविदा/दैनिक मजदूरी	संविदा/दैनिक मजदूरी

(3) राज्य परियोजना कार्यालय में डाटा एन्ट्री आपरेटर का एक पद, कनिष्ठ लिपिक (सहा. ग्रेड–3) के तीन पद तथा भृत्य के दो पद वर्तमान में रिक्त है। इन पदों पर तथा भविष्य में रिक्त होने वाले पदों तथा संविदा नियुक्ति की स्थिति में छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2004 में विहित प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति हेतु मिशन संचालक को अधिकृत किया जाना प्रस्तावित।

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

एनेक्सर क्र. B/01

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

विषयः— पूर्व माध्यमिक शाला के बालिकाओं को **NPEGEL** योजना के अंतर्गत गणवेश प्रदाय करने बाबत् ।

संक्षेपिका

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL (National Programme for Education of Girl's at Elementry level) एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है ।

1/ उक्त योजना के अंतर्गत भारत शासन मानव संसाधन मंत्रालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा चालू वर्ष 2009–10 के लिए जो वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है, उसमें प्रदेश के सभी जिलों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Additional Incentive (uniform) मद में निम्नानुसार बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है :—

क.	शाला का प्रकार	छात्राओं की संख्या	प्रावधानित राशि (रू. लाख में)	इकाई लागत
1	प्राथमिक शाला	759278	410.01	54.00
2	माध्यमिक शाला	259366	108.93	42.00
योग		1018644	518.94	

इस तरह उपरोक्तानुसार प्रावधानित राशि से बालिकाओं को गणवेश प्रदाय किया जाना है ।

2/ वर्तमान में बालिकाओं को गणवेश प्रदाय करने का कार्य आदिम जाति कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा भी किया जाता है । उपरोक्त दोनों विभाग द्वारा केवल कक्षा 1 से 5 वीं स्तर के बालिकाओं को गणवेश दिया जाता है । दोनों विभाग का कार्यक्षेत्र, लाभन्वित बालिकाओं की स्थिति निम्नानुसार हैः—

क.	विभाग	विकास खण्ड	छात्राएँ
1	शिक्षा विभाग	गैर आदिवासी विकासखण्डों में	केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के बालिकाओं को
2	आदिम जाति कल्याण विभाग	आदिवासी विकासखण्डो में	केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा1 से 5 तक के बालिकाओं को

3 इस तरह वर्तमान उपरोक्त दोनों विभागों के द्वारा अपने--अपने क्षेत्र में केवल अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति वर्ग के कक्षा 1 से 5वीं तक बालिकाओं को गणवेश प्रदाय किया जाता है इस व्यवस्था में निम्नानुसार वर्ग के बालिकाएँ छूट रही हैं :–

क्र.	स्तर	छात्राएँ
1	प्राथमिक स्तर पर	अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के बालिका
2	पूर्व माध्यमिक स्तर पर	अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्ध वर्ग के समस्त बालिकाओं

4 उपरोक्तानुसार छूटे हुए बालिकाओं की अनुमानित संख्या निम्नानुसार हैं :–

1. प्राथमिक स्तर पर

क्र.	वर्ग	बालिकाओं की संख्या
1	कुल बालिका	16,13,802
2	अ.जा. एवं अ.ज.जा. बालिका	7,59,886
3	छूटे बालिकाओं की संख्या	8,53,916

2. माध्यमिक स्तर – समस्त बालिका संख्या – 6,88,906

इस तरह प्राथमिक **स्तर** कुल बालिकाओं 16,13,802 में से वर्तमान व्यवस्था के तहत केवल 8,53,916 बालिकाएँ लाभान्वित हो रही है तथा प्राथमिक स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के 8,53,916 बालिकाएँ लाभान्वित नही हो पा रही है । इसी तरह, पूर्व माध्यमिक वर्ग के सभी 6,88,906 बालिकाएँ वर्तमान में राज्य शासन के गणवेश प्रदाया योजना से लाभान्वित नही होने वाले बालिकाओं की संख्या संक्षेप में निम्नानुसार है :–

1. प्राथमिक स्तर –	8,53,916
2. माध्यमिक स्तर –	6,88,,906
योग –	**15,42,822**

5/ उपरोक्तानुसार लाभान्वित होने से शेष बच्चे प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के 15,42,822 बालिकाओं को NPEGEL योजन के तहत गणवेश प्रदाय करने पर विचार किया जा सकता है ।

6, गणवेश की खरीदी भंडार क्रय नियमों के तहत, छ.ग. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से की जायेगी । बोर्ड की दरें निम्नानुसार है :–

क्र.	गणवेश प्रकार	प्राथमिक शाला साईज 20, 22, 24, 26	माध्यमिक शाला साईज – 28, 30, 32
1	हाफ शर्ट	71.00	88.00
2	स्कर्ट	85.75	95.50
योग		156.75	183.50

7 उक्त दरों पर निम्नानुसार संख्या में गणवेश खरीदी जा सकती है ।

क्र.	शाला का प्रकार	बालिकाओं का वर्ग	गणवेश दर प्रति नग	बालिका (गणवेश) संख्या	कुल लागत
1	2	3	4	5	6
1	प्राथमिक वर्ग	अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग की BPL बालिका	156.75	261570	410.01
2	माध्यमिक वर्ग	अ.जा. तथा अ.ज. जाति वर्ग की बालिका	183.50	168456	108.93
योग				430026	518.94

8 उपरोक्त स्थिति को देखते हुए निम्नानुसार बिन्दु पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :–

NPEGEL योजन के अंतर्गत Additional Incentive (uniform) मद में उपलब्ध बजट 518.94 लाख रूपये से ऊपर पैरा (7) में दशाये अनुसार संख्या में प्राथमिक एवं माध्यमिक वर्ग के बालिकाओं के लिए भंडार क्रय नियम का पालन करते हुए गणवेश खरीदी किया जावे ।

(के. आर. पिस्दा)
आई.ए.एस.
मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़ रायपुर

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

विषयः— कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में एक्वागार्ड प्रदाय करने बाबत्।

एजेण्डा क. {स} (1)

संक्षेपिका

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने तथा शाला त्यागी/अप्रवेशी बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से प्रदेश में 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है । उक्त 93 में 92 आवासीय विद्यालय आवासीय विद्यालय विभागीय भवनों में तथा 1 निजी भवन में (किराये से) चल रहा है । उक्त बालिकाओं के आवास सुविधा, पठन—पाठन की सुविधा तथा अन्य सभी अनुवांशिक सुविधा उपलब्ध कराने में होने वाले व्यय भार का वहन योजनान्तर्गत किया जाता है ।

2/ आवासीय विद्यालयों में अक्सर अशुद्ध पानी से बालिकाओं के बीमार पड़ने की संभावना बनी रहती है । अतः बालिकाओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्राथमिक अनिवार्यता है ।

3/ योजनान्तर्गत वर्ष 2009—10 के लिए भारत शासन द्वारा स्वीकृत कार्य योजना में Medical Care/ Contingencies मद में प्रति बालिका 750/— रूपये की दर से कुल 68.64 लाख रूपये का बजट प्रावधान है । उक्त मद की राशि से छात्रावासी बालिकाओं के बीमार पड़ने पर उनके उपचार का कार्य किया जाता है । गत वर्षों का अनुभव रहा है कि उक्त मद में वर्ष के अंत में काफी राशि बच जाती है। अतः उक्त बचत राशि से प्रत्येक आवासीय विद्यालय में एक सेट के मान से कुल 93 आवासीय विद्यालयों के लिए 93 सेट एक्वागार्ड कय किया जाना प्रस्तावित है ।

यूरेका कम्पनी का एक्वागार्ड जिसका मूल्य प्रति नग 7190.00 रू. है । अतः 93 KGBV x 7190.00 रू. = 6,68,670.00 रू. व्यय होना प्रस्तावित है ।

मिशन संचालक 27/11/09
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़ रायपुर

EFL Direct

Anupam Saxe[illegible] ... Manager

EUREKA FORBES
Your friend for life

EUREKA FORBES
Your friend for life
67, Anand Nagar, Raipur (C.G.)
Mob: 9301058382
Ph 2423783 Fax. 2422328
E-mail: anupam.s@eurekaforbes.co.in
Web-site: www.eurekaforbes.com

Quotation:-AG

Your Ref: As per Your Requirement

TO,
Mission Director
Rajeev Gandhi Shiksha mission
Raipur, C.G

Dear Sir /s ,

We have pleasure in quoting below for requirements of AQUAGUARD CLASSIC Water Filter Cum Purifier.

S.NO	DESCRIPTION	Qty.	Rate Rs.	Value Rs
1	AQUAGUARD CLASSIC Water Filter Cum Purifier	01	7190/-	7190/-
	TOTAL			7190/

Terms & Condition :

1. Payment : 50% in advance, by local cheque D.D. favouring [illegible]
2. Price & Validity :-Valid up to 15 days of this quotation.
3. Taxes & Duties : Price inclusive of taxes wherever applicable.
4. Warranty : 12 months as per terms of warranty.
5. FLO Rate : 60 liter / hour

Thanking you and looking forward for your order.

Yours Faithfully,
For , Eureka Forbes Limited.

राज्य परियोजना कार्यालय

राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

बिन्दु क्र. – द. (1)

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले नवीन हाई स्कूल भवनों के लिए निर्माण एजेंसी का निर्धारण।

संक्षेपिका

भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया हैं। उक्त अभियान के अंतर्गत पहुंच की सुविधा, समता तथा गुणवत्ता विकास का कार्य किया जाना है जिसके तहत् अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज के कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय तथा बालिकाओं को शाला पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक बसाहट से 5 कि. मी. की दूरी पर एक हाई स्कूल खोला जाना है।

2. इस हेतु चालू वर्ष 2009–10 के लिए राज्य का परियोजना प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा चुका है। भारत शासन स्तर पर प्रोजेक्ट एप्रूवल कमेटी की बैठक भी हो चुकी है तथा राज्य की परियोजना की स्वीकृति शीघ्र मिलने की संभावना है।

3. चालू वर्ष 2009--10 के लिए प्रदेश का जो प्रस्ताव भेजा गया है, उसके अनुसार चालू वर्ष 2009–10 में 1001 मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल में उन्नयन, भवन विहीन तथा नई 218 हाई स्कूलों में नये हाई स्कूल भवन निर्माण तथा पुराने 292 हाई स्कूलों का सुदृढ़ीकरण (अर्थात अतिरिक्त कमरों का निर्माण) का कार्य किया जाना है। नये हाई स्कूल भवन की इकाई लागत 61.50 लाख रूपये तथा पुराने भवनों के सुदृढ़ीकरण की इकाई लागत 44.25 लाख रूपये निर्धारित है।

4. आगामी वर्षों में लगभग 2000 नये हाई स्कूल भवन, 3017 पुराने हाई स्कूल भवनों का सुदृढ़ीकरण तथा लगभग 10,000 वर्गो के लिए अतिरिक्त कमरों के निर्माण का कार्य किया जाना होगा। इस तरह चालू वर्ष के कार्य के अलावा आगामी वर्षों में इस योजना के अंतर्गत काफी बड़े पैमाने पर सिविल वर्क (शाला भवन निर्माण कार्य) करने होंगे।

5. वर्तमान में हाई/हायर सेकेंडरी शाला भवनों का निर्माण राज्य बजट से लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया जाता है। यह देखा जा रहा है, कि लोक निर्माण विभाग से कराये जा रहे विभागीय कार्यों में काफी समय लगता है तथा अधिकांश शाला भवनों में दर वृद्धि होने से पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति देनी पड़ रही है। इससे निर्धारित इकाई लागत में कार्य नहीं हो पा रहा है तथा शीघ्र भवन न मिलने से विभागीय शाला संचालन में कठिनाई होती है। यदि यही प्रक्रिया राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यों की भी रही तो जहां एक ओर पुनरीक्षित स्वीकृति की अतिरिक्त राशि की व्यवस्था भारत शासन से नहीं मिलेगी तथा राज्य स्तर पर राशि की व्यवस्था करने में कठिनाई होगी, वहीं आगामी वर्ष की कार्ययोजना की स्वीकृति तथा बजट मिलने में कठिनाई होगी। अतः कार्य के महत्व, कार्यो की संख्या एवं लागत राशि को देखते हुए योजनान्तर्गत

स्वीकृत शाला भवनों के निर्माण निर्धारित समयावधि के भीतर कराने के लिए कार्य एजेंसी का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

6. लोक निर्माण विभाग को मिलाकर वर्तमान में शासकीय मद से किये जाने वाले कार्यों को फील्ड स्तर पर निम्नानुसार एजेंसियों से कराया जाता है :–

1. लोक निर्माण विभाग (PWD)
2. ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (RES)
3. छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड (CGHB)
4. विभागीय (Departmental)

7. विभाग के पास स्वयं का ऐसा कोई तकनीकी अमला नहीं है, जिससे उक्त निर्माण कार्य कराया जा सकें। अतः निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने तथा भारत शासन से राशि प्राप्त करने में कोई बाधा न हो, इस दृष्टि से योजनान्तर्गत स्वीकृत किये जाने वाले सिविल वर्क के लिए कार्य एजेंसी का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है।

8. इस हेतु नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के तर्ज पर RMSA के कार्यों के लिए भी राज्य स्तर पर एक कोर ग्रुप (Core Group) गठित कर कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। कोर ग्रुप का गठन निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

1. सचिव, छ.ग.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
2. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
3. कार्यपालन यंत्री (प्रतिनियुक्ति पर)
4. वित्त नियंत्रक (संयुक्त संचालक वित्त) प्रतिनियुक्ति पर

9. अतः प्रकरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत सिविल वर्क के लिए निम्न बिन्दु पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है:–

अ. उपर पैरा (6) में दर्शित कार्य एजेंसियों में से किसी एक को कार्य एजेंसी नियुक्त की जाये ?

अथवा

ब. उपर पैरा (8) में दर्शित प्रस्ताव अनुसार Core Group गठित कर निर्माण कार्य किराया जाये।

27/11/09

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
एवं
प्रबंध संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
छत्तीसगढ़, रायपुर

एजेण्डा क्र0 D/2

राज्य परियोजना कार्यालय

राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

बिन्दु क्र. – द. (2)

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूलों के लिए कर्मचारियों का सेट–अप स्वीकृत करने बाबत्।

संक्षेपिका

भारत शासन मानव संसाधन विभाग शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए चालू वर्ष 2009–10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है।

2. उक्त अभियान के अंतर्गत राज्य का चालू वर्ष 2009–10 का परियोजना प्रस्ताव भारत शासन को भेजा जा चुका है। भारत शासन स्तर पर प्रोजेक्ट एप्रुवल कमेटी की बैठक भी हो चुकी है तथा शीघ्र स्वीकृति आदेश जारी होना संभावित है।

3. राज्य से प्रेषित परियोजना के अनुसार चालू वर्ष 2009–10 में उक्त योजना के तहत् प्रदेश के कुल 1001 माध्यमिक शालाओं को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही उक्त शालओं को चालू करने के लिए शाला उन्नय की प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने तथा इस हेतु पद संरचना का निर्माण करने की आवश्यकता होगी। उपरोक्तानुसार पद संरचना का निर्माण होने के बाद सेट–अप के साथ नये हाई स्कूल उन्नयन का आदेश जारी किया जा सकेगा। अतः योजना अंतर्गत उन्नयन हेतु प्रस्तावित नवीन हाई स्कूलों के लिए अमले का सेट–अप स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

4. छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ–6–22/2008/20, दिनाक 13.05.08 के माध्यम से राज्य द्वारा संचालित हाइ स्कूलो के लिए निम्नानुसार सेट–अप स्वीकृत किया गया है:–

क्र.	पद का नाम	पद संख्या	5 वां वेतनमान	6 वां वेतनमान
1	2	3	4	5
1	प्राचार्य/	1	8000–13500	15600–39100+5400
2	व्याख्याता/शि.क. वर्ग–1	6	5500–9000/ 5300–8300	9300–34800+4300/ 5300–8300
3	सहा.शि.विज्ञान/शि.क. वर्ग–3	1	4000–6000 3800–5800	5200–20200+2400/ 3800–5800
4	लेखापाल/सहा.ग्रेड–2	1	4000–6000	5200–20200+2400
5	सहायक ग्रेड–3	1	3050–4590	5200–20200+1900
6	भृत्य नियमित	2	2550–3200	4750–7440+1300
7	भृत्य(आ.निधि)/चौकीदार	1	2550–3200	4750–7440+1300
8	स्वीपर (अंशकालीन)	1	कलेक्टर दर	कलेक्टर दर
	योग	14		

5. योजनान्तर्गत उन्नयन किये गये समस्त नवीन हाई स्कूलों में कार्यरत अमले के वेतन भत्ते का भुगतान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् किया जावेगा तथा वेतन भत्तों के मद में राज्य शासन को कोई अतिरिक्त व्यय भार वहन नहीं करना पड़ेगा। भविष्य में योजन बंद होने के बाद उक्त समस्त शालाऐं अधोसंरचना तथा अमले सहित राज्य को हस्तांतरित की जावेगी।

6. यदि राज्य द्वारा हाई स्कूलों के लिए निर्धारित सेट–अप को आधार माना जाता है तो संलग्न प्रपत्र – "एक" मे दर्शायें अनुसार संख्या में विभिन्न प्रवर्ग के पदों की आवश्यकता होगी। अतः प्रकरण में निम्न बिन्दु पर निर्णय लिया जाना है :–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2009–10 में स्वीकृत 1001 नवीन हाई स्कूलों के लिए संलग्न प्रपत्र–"एक" में दर्शाये अनुसार विभिन्न प्रवर्ग के कुल 14014 पद स्वीकृत करने की स्वीकृति दी जाती है।

मिशन संचालक 27/1/10
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
एवं
प्रबंध संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रपत्र – "एक"

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूलों के लिए प्रस्तावित सेट–अप

क्र.	पद का नाम	नवीन हाई स्कूल की संख्या	प्रति हाई स्कूल पद संख्या	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित कुल पद संख्या	वेतनमान (6 वां)
1	2	3	4	5	6
1	प्राचार्य	1001	1	1001	15600–39100
2	व्याख्याता / शि.क. वर्ग–1	1001	6	6006	9300–34800+4300 / 5300–8300
3	सहा.शि.विज्ञान / शि.क. वर्ग–3	1001	1	1001	5200–20200+2400 / 3800–5800
4	लेखापाल / सहा. ग्रेड–2	1001	1	1001	5200–20200+2400
5	सहायक ग्रेड–3	1001	1	1001	5200–20200+1900
6	भृत्य नियमित	1001	2	2002	4750–7440+1300
[illegible]	भृत्य(आ. निधि) / चौकीदार	1001	1	1001	4750–7440+1300
8	स्वीपर (अंशकालीन)	1001	1	1001	कलेक्टर दर
	योग			14014	

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
एवं
प्रबंध संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
छत्तीसगढ़, रायपुर

एजेण्डा क्र० D/3

राज्य परियोजना कार्यालय

राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़, रायपुर

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

बिन्दु क्र. – द. (3)

विषयः– राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्वीकृत नवीन हाई स्कूलों के लिए प्राचार्य पदों की पूर्ति बाबत्।

संक्षेपिका

भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के लिए चालू वर्ष 2009–10 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया है।

2. उक्त अभियान के अंतर्गत राज्य की वार्षिक कार्ययोजना तैयार कर भारत शासन को भेजी जा चुकी है। भारत शासन से स्वीकृति अपेक्षित है।

3. उक्त योजना के तहत् चालू वर्ष में कुल 1001 मिड्लि स्कूलों को हाई स्कूल के रूप उन्नयन का प्रस्ताव है। यदि उक्त प्रस्ताव भारत शासन से स्वीकृत हो जाता है, तो चालू वर्ष मे ही उक्त सभी स्कूलों को उन्नयन करना होगा। उन्नयन के लिए उक्त शालाओं में सेट–अप स्वीकृति की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। उक्त सेट–अप में प्राचार्य का पद भी शामिल है। प्राचार्य का पद पदोन्नति से भरा जावेगा। पदोन्नति की कार्यवाही व्याख्याता संवर्ग से की जावेगी। वर्तमान में राज्य की भीतर शाला संचालन 2 विभाग क्रमशः स्कूल शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में शाला संचालन आदिम जाति कल्यांण विभाग द्वारा किया जाता है तथा सामान्य क्षेत्रों में शाला संचालन शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अतर्गत स्वीकृत हाई स्कूलों के लिए क्षेत्र का कोई बधन नही है। अभियान के अंतर्गत हाई स्कूल प्रदेश के सभी क्षेत्रों (अधिसूचित क्षेत्र तथा समान्य क्षेत्र) में आवश्यकता के अनुरूप खोले जावेंगे। राज्य मिशन के पास अपने स्वयं का कोई भर्ती नियम या अमला नही है, जिससे प्राचार्य पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सके। अतः प्राचार्य के पद को भरने के लिए राज्य स्तर नीतिगत निर्णय लिया जाना आवश्यक है। इस हेतु यह प्रस्तावित है कि अनुसूचित क्षेत्रों में प्राचार्य पदों की पूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा तथा सामान्य क्षेत्रों में प्राचार्य पद की पूर्ति पदोन्नति के माध्यम से शिक्षा विभाग द्वारा किया जावे। उक्त पदोन्नत कर्मचारी संबंधित विभाग के नियमित कर्मचारी होंगे। उनके वेतन भत्तो का भुगतान राष्ट्रीय माध्यमिक अभियान से किया जायेगा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग में हाई स्कूलों में 15600–39100 वेतन मान के प्राचार्य कार्यरत हैं, तथा आदिम जाति कल्याण विभाग में 9300–34800 वेतन मान के प्राचार्य कार्यरत हैं। इस स्थिति मे अलग–अलग विभाग के लिए राज्य को अलग–अलग वेतन मान के प्राचार्य पद की मांग की जानी होगी जो संभव नहीं है, अतः

इस कठिनाई के निराकरण हेतु दोनो विभागों के व्याख्याताओं की सयुक्त वरिष्ठता सूची बनाकर प्राचार्य पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जा सकती है।

5. अतः प्रकरण में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत उन्नयित किये जाने वाले नवीन हाई स्कूलों के लिए प्राचार्य पदों पर पदोन्नति हेतु निम्न बिन्दु पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :–

अ. उपर पैरा (3) मे दर्शित अनुसार राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत मिडिल स्कूल से हाई स्कूल के रूप में उन्नयित शालाओं में स्वीकृत सेट–अप के विरूद्ध प्राचार्य के पदों की प्रतिपूर्ति आदिवासी विकासखण्डों में पदोन्नति के माध्यम से आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा तथा सामान्य क्षेत्रों में शिक्षा विभाग द्वारा विभागीय भर्ती नियमों के तहत् विभागीय अमलें के माध्यम से की जावे ?

अथवा

ब. शिक्षा विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के व्याख्याताओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाकर प्राचार्य पद पर पदोन्नति की कार्यवाही की जावे ?

27/11/09

मिशन संचालक
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
एवं
प्रबंध संचालक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
छत्तीसगढ़, रायपुर

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

विषयः—नवीन मॉडल स्कूलों के लिए सेटअप स्वीकृत करने बावत्।

संक्षेपिका

भारत शासन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष से माध्यमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न पर शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड एक के मान से केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर नवीन मॉडल स्कूल खोलने की योजना लागू की गई है। प्रदेश में कुल 146 विकासखण्ड है, जिसमें से 74 विकासखण्ड शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड के रूप में भारत शासन द्वारा चिन्हित किया गया है। इस तरह प्रदेश में शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड के मान से कुल 74 नवीन मॉडल स्कूल खोला जाना है।

2. इस हेतु राज्य का प्रस्ताव भारत शासन को 2 चरणों में भेजा गया है। प्रथम चरण में 20 विकासखण्डों में मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, जो कि भारत शासन से स्वीकृत होकर प्राप्त हो गया है। द्वितीय चरण में 54 मॉडल स्कूल खोलने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिसका केन्द्र स्तर पर परियोजना अनुमोदन समिति (PAB) की बैठक दिनांक 12.11.2009 को नई दिल्ली में हो चुकी है तथा उक्त मॉडल स्कूलों की स्वीकृति भी चालू वित्तीय वर्ष में शीघ्र मिलने की उम्मीद है।

3. उक्त प्रस्तावित मॉडल स्कूल पूरी तरह नये स्कूल होंगे। अतः उक्त स्कूलों के संबंध में निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है :—

(1) <u>प्रस्तावित स्थल :—</u>

शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड एक के मान से कुल 74 **नये** मॉडल स्कूल खोलना प्रस्तावित है। प्रस्तावित स्थलों की सूची **परिशिष्ट—"एक"** में नीचे संलग्न है। सूची अनुसार प्रस्तावित स्थानों पर नये मॉडल स्कूल खोलने की अनुमोदन दिया जाना प्रस्तावित है।

(2) **<u>कक्षा संचालन :–</u>**

उक्त नये मॉडल स्कूलों में कक्षा 6 से 12 वीं तक कक्षा संचालन किया जाना प्रस्तावित है। शाला फिलहाल गैर आवासीय है। अनुमोदनार्थ।

(3) **<u>शिक्षा का माध्यम :–</u>**

उक्त नवीन मॉडल स्कूलों में केन्द्रीय विद्यालय के तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(4) **<u>बोर्ड से संबद्धता :–</u>**

उक्त नवीन मॉडल स्कूलों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल (CBSE) बोर्ड से समबद्ध किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(5) **<u>प्रवेश की प्रक्रिया :–</u>**

उक्त नवीन मॉडल स्कूलों में पूरे विकासखण्ड के बच्चों को प्रवेश लेने की पात्रता होगी। प्रथम वर्ष 50 बच्चों को कक्षा 6 वीं में प्रवेश देकर शाला प्रारंभ किया जावेगा तथा केवल कक्षा 6 वीं की कक्षा प्रारंभ की जावेगी। ये बच्चे अगले वर्ष कक्षा 7 वीं फिर अगले वर्ष में 8 वीं, 9 वीं एवं 12 वीं में जायेंगे। इस तरह कंक्षा 12 वीं तक का क्लास 6 साल में प्रारंभ होगा। चूंकि शाला में पूरे विकासखण्ड के बच्चों को प्रवेश की पात्रता होगी, अतः 50 बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय की भांति प्रवेश चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(6) **<u>सेटअप की स्वीकृति :–</u>**

मॉडल स्कूलों की स्थापना केन्द्रीय विद्यालय के पैटर्न में की जानी है। अतः शिक्षा की गुणवत्ता तथा निरंतरता बनाये रखने के लिए पंचायत कर्मियों के स्थान पर नियमित पदों की स्वीकृति दिया जाना तथा नवोदय विद्यालय के सेटअप के अनुरूप स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। उक्त सेटअप में स्वीकृति अनुसार पदों की भर्ती आवश्यकता के अनुरूप प्रतिवर्ष की जायेगी तथा सेटअप के सभी पदों की भर्ती 5 वर्षों में पूरी की जावेगी। उक्त पदो के वेतन भत्तों का भुगतान योजना के मद से की जावेगी। राज्य शासन को इस हेतु कोई अतिरिक्त व्यय भार वहन नही करना पड़ेगा तदानुसार 74 नवीन मॉडल स्कूलों के लिए प्रति स्कूलों के लिए प्रति स्कूल **परिशिष्ट–"दो"** में प्रस्तावित पदों की स्वीकृति दिया जाना तथा उक्त पद नियमित पद के रूप में भरा जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(7) मॉडल स्कूल भवन का ड्राईंग का अनुमोदन :-

मॉडल स्कूल भवन के लिए ड्राईंग का प्रारूप **परिशिष्ट-"तीन"** में नीचे संलग्न है। भारत शासन द्वारा प्रति भवन के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय के रूप 305.00 लाख प्रावधान रखा गया है। ड्राईंग अनुमोदनार्थ ।

(8) भवन निर्माण हेतु कार्य एजेंसी का निर्धारण :-

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रस्ताव अनुसार कार्य एजेंसी का निर्धारण प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(9) प्राचार्य पद की भर्ती :-

प्रस्तावित सेटअप अनुसार प्राचार्य को छोड़कर अन्य पदों की भर्ती सीधी भर्ती प्रक्रिया से की जावेगी, लेकिन प्राचार्य का पद अनुभवी शिक्षकों से भरने की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के 15 साल के अनुभवी सहभागीताओं से सीमित परीक्षा के माध्यम से प्राचार्यों के 74 पद पर भर्ती (सीधी भर्ती) किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ ।

(10) संचालन समीति का गठन :-

पूरे राज्य में 74 मॉडल स्कूल चलायें जायेंगे। इनका पाठ्यक्रम राजय के स्कूलों से भिन्न होगा। अतः गुणवत्ता बनाये रखने के लिए एक आयुक्त स्तरीय अधिकारी की अध्यक्षता में मॉडल स्कूल संचालन समिति का गठन कर तथा पूर्ण कालिक अमला स्वीकृत कर इन 74 मॉडल स्कूलों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(के. आर. पिस्दा) 17/12/09
मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट – " एक "

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

राज्य के कुल 74 शैक्षिक रूप से पिछड़े विकास खंडो (EBB) हेतु प्रस्तावित मॉडल स्कूलों की सूची :–

SN	Name of District	Educationally Backward Blocks	Proposed Place (Village)
1	2	3	4
1	Bilaspur	Lormi	Kotri
2	Bijapur	Bhopalpatnam	Uloor
3	Bijapur	Usoor	Chintakonta
4	Dantewada	Kuakonda	Hitwar
5	Dantewada	Chhindgarh	Rokel
6	Dantewada	Geedam	Jawnga
7	Dantewada	Sukma	Mutund
8	Durg	Bemetara	Bijabhat
9	Raigarh	Dharmjaygarh	Dharmjaygarh
10	Sarguja	Bhaiyathan	Jamdhi
11	Sarguja	Rajpur	Patratu
12	Sarguja	Partappur	Kanknagar
13	Sarguja	Mainpat	Narmadapur
14	Sarguja	Lankhnpur	Kewari
15	Sarguja	Batauoli	Bhatko
16	Sarguja	Kusmi	Semara
17	Sarguja	Lundra	Karaki
18	Sarguja	Odgi	Kalamanjan
19	Sarguja	Ramchandrapur	Bhawarmal
20	Sarguja	Sitapur	Pratapgarh
21	Bastar	Bastar	Karmari
22	Bastar	Kondagaon	Devkhargaon
23	Bastar	Jagdalpur	Jagdalpur
24	Bastar	Tokapal	Singhanpur
25	Bastar	Darbha	Gumadpal
26	Bastar	Lohandiguda	Lamdaguda

SN	Name of District	Educationally Backward Blocks	Proposed Place (Village)
27	Bastar	Bastanar	Lalaguda
28	Bastar	Makdi	Uddidgaon
29	Bastar	Bakawand	Ulnar
30	Bastar	Pharasgaon	BadeDongar
31	Bastar	Baderajpur	Visharampuri
32	Bastar	Keshkal	Garkagudrepara
33	Bijapur	Bharamgarh	Bharamgarh
34	Bijapur	Bijapur	Manghiguda
35	Bilaspur	Bilha	Godhi
36	Bilaspur	Gourela	Sarbahara
37	Bilaspur	Kota	Gobripaat
38	Bilaspur	Marwahi	Dongariya
39	Bilaspur	Masturi	Vedparsada
40	Bilaspur	Mungeli	Phulwari Jarhagaon
41	Bilaspur	Patharia	Jareli (Pendri)
42	Bilaspur	Pendra	Kudkai
43	Bilaspur	Takatpur	Deorikhurd, Kathakoni
44	Dantewada	Dantewada	Kumharras
45	Dantewada	Kateklyan	Badegudra
46	Dantewada	Konta	Konta
47	Janjgir-Champa	Pamgarh	Kutraborh
48	Jashpur	Bagicha	Bagicha
49	Jashpur	Kansabel	Kansabel
50	Jashpur	Pathalgaon	Pandaripani
51	Kabirdham	Kawardha	Dhampura
52	Kabirdham	Pandaria	Laduwa
53	Kabirdham	Bodla	Kusumghata
54	Korba	Korba	Kharmora
55	Korba	Kartala	Badmar
56	Korba	Katghora	Jenjra
57	Korba	Pali	Saila
58	Korba	Pondiuprora	Darrabhata
59	Koria	Khadgawan	Sakariya
60	Koria	Manendragarh	Kachhaud
61	Koria	Bharatpur	Janakpur

SN	Name of District	Educationally Backward Blocks	Proposed Place (Village)
62	Narayanpur	Narayanpur	Sulenga
63	Narayanpur	Orcha	Orcha
64	Raigarh	Lailunga	Kunjara
65	Raipur	Deobhog	Mungjhar
66	Raipur	Mainpur	Deharguda
67	Raipur	Bilaigarh	Khamaria
68	Raipur	Kasdol	Chharchhed
69	Raipur	Baloda Bazar	Sakari
70	Raipur	Bhatapara	Tikuliya
71	Surguja	Ambikapur	Parsa
72	Surguja	Surajpur	Tilsiwan
73	Surguja	Udaypur	Sanni Barra Hac.
74	Surguja	Wadrafnagar	Wadrafnagar

(के. आर. पिस्दा)
मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

MODEL SCHOOL "परिशिष्ट दो"

बैठक दौरान पृथक से उपलब्ध की जावेगी ।

MODEL SCHOOL "परिशिष्ट तीन"

बैठक दौरान पृथक से उपलब्ध की जावेगी ।

प्रोजेक्ट/कंप F/01

राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ रायपुर

विषयः–100 सीटर गर्ल्स हॉस्टल की स्वीकृति।

संक्षेपिका

भारत शासन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, नई दिल्ली के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 से शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्डों में 100 कन्या छात्रावास स्थापित करने की एक नवीन योजना प्रारंभ किया गया है। कुल 146 विकासखण्ड है, जिसमें से 74 विकासखण्ड शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड के रूप में चिन्हित किए गये है। इस तरह प्रदेश के शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में प्रत्येक विकासखण्ड में एक कन्या छात्रावास के मान से कुल 74 कन्या छात्रावास खोला जाना है।

2. उक्त कन्या छात्रावासों की स्थापना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, BPL परिवारों के बालिकाओं को शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने, तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्धेश्य से किया जा रहा है। उक्त छात्रावास में कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक की लड़कियों को रहने की सुविधा प्राप्त होगी। उक्त कन्या छात्रावासों को यथा संभव कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) के परिसर में स्थापित किया जाना है। यदि स्थानाभाव के कारण वहां संभव नही हो तो हायर सेकण्ड्री स्कूल के आसपास स्थापित करना है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत् कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) संचालित है। जिसमें कक्षा 1 ली से 8 वीं तक बालिकाओं को आवासीय शिक्षा की सुविधा दी जाती है। विचाराधीन योजना से अब आवासीय सुविधा कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक विस्तारित हो जायेगी।

3. इस हेतु राज्य से प्रस्ताव तैयार कर भारत शासन को 2 चरणों में प्रस्ताव भेजा गया था। पहले चरण में कुल 38 स्थानों पर कन्या छात्रावास खोलने के प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें से 33 स्थानों पर खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। 5 स्थानों पर 3 किलो मीटर की परिधि में माध्यमिक शाला उपलब्ध नही होने के कारण प्रस्ताव भेजा गया था, जिसको केन्द्र सरकार के स्तर पर PAB की बैठक भी हो चुकी है। उक्त बैठक में ही पूर्व प्रेषित 38 प्रस्ताव के 5 स्थान और तत्पश्चात् प्रेषित 36 प्रस्ताव में 4 स्थान एवं मुंगेली विकासखण्ड में भी स्वीकृत कन्या छात्रावास 3 किलो मीटर माध्यमिक

शाला उपलब्ध नहीं होने के कारण संशोधित स्थान प्रस्तावित की गई । इस तरह कुल 10 विकासखण्ड में स्वीकृत मॉडल स्कूल में संलग्न कर कन्या छात्रावास खोले जाने की सहमति दी गई। स्वीकृत 33 कन्या छात्रावास के अतिरिक्त शेष 41 कन्या छात्रावास हेतु चालू वित्तीय वर्ष के भीतर शीघ्र ही स्वीकृत प्राप्त होने की संभावना है। तद्नुसार कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्न बिन्दुओं पर निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है:–

(1) <u>74 स्थानों पर 100 सीटर कन्या छात्रावास की स्वीकृति:–</u>

शैक्षणिक रूप से पिछड़े 74 विकासखण्डों में प्रति विकासखण्ड एक के मान से प्रस्तावित 74 कन्या छात्रावास के स्थलों की सूची **परिशिष्ट–"एक"** में नीचे संलग्न है। उक्त सूची अनुसार भारत शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है, हो रही है। अतः उक्त सूची अनुसार चयनित स्थलों पर कुल 74 कन्या छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रस्तावित है। सूची अनुमोदनार्थ।

(2) <u>अमले की स्वीकृति :–</u>

उक्त छात्रावास के लिए अधीक्षिका सहित अन्य अमले की जरूरत होगी भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार उक्त कन्या छात्रावास यथासंभव कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) परिसर में खोलना है। तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) की अधीक्षिका अपने कार्य के साथ–साथ इन 100 सीटर छात्रावास के अधीक्षिका का भी कार्य देखेगी। उसे इसके लिए 3000/– रूपयें का मानदेय दिया जावेगा। जहां कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय (KGBV) परिसर से बाहर खोला जायेगा, वहां सम्बंधित हायर सेकण्ड्री स्कूल का प्राचार्य इस कन्या छात्रावास के अधीक्षक का कार्य देखेगा। उसे इस हेतु 3000/– रूपयें मानदेय दिया जावेगा। योजनान्तर्गत अधीक्षिका के लिए पृथक पद स्वीकृत नही किया गया है। अधीक्षिका के अलावा अन्य पदों की सूची **परिशिष्ट–"दो"** में नीचे संलग्न है। उक्त पदो के व्यय भार का वहन योजना के मद से किया जावेगा। राज्य शासन को कोई पृथक से व्यय भार का वहन करना नही पड़ेगा। अतः **परिशिष्ट–"दो"** में प्रस्तावित अमले का सेटअप स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(3) <u>भवन का ड्राईंग :–</u>

100 सीटर कन्या छात्रावास भवन का ड्राईंग **परिशिष्ट–"तीन"** में नीचे संलग्न अनुसार है। अनुमोदनार्थ। .

(4) <u>निर्माण एजेंसी का निर्धारण :-</u>

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रस्ताव अनुसार उक्त एजेंसी से ही इन भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(5) <u>संचालन समिति का गठन :-</u>

मॉडल स्कूल हेतु गठित संचालित समिति के माध्यम से इन छात्रावासों का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। अनुमोदनार्थ।

(के. आर. पिस्दा) 17/1/20
मिशन संचालक
राज्य परियोजना कार्यालय
राजीव गांधी शिक्षा मिशन
छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट– एक

Proposed Girls Hostel In EBB's

Name of District	SN	Name of Block	Address of Proposed Girls Hostel
1	2	3	4
Bastar	1	Baderajpur	KGBV Premises Village-Baderajpur
	2	Bakawand	KGBV Premlses Village-Bakawand
	3	Keshkal	KGBV Premises Village-Keshkal
Bijapur	4	Bhopalpatnam	KGBV Premises Village-Bhopalpatnam
Bilaspur	5	Bilha	KGBV Premises Village-Bartori
	6	Gourela	KGBV Premises Village-Semra
	7	Kota	KGBV Premises Village-Chapora
	8	Marwahi	KGBV Premises Village-Kumhari
	9	Masturi	KGBV Premises Village-Pachpedi
	10	Mungeli	KGBV Premises Viilage-Chatrakhar
	11	Patharia	At Proposed Model School in Village-Deorikhurd, Kathakoni
	12	Pendra	KGBV Premises Village-Kodgar
	13	Takhatpur	KGBV Premises Village-Jareli
Dantewada	14	Sukma	KGBV Premises Village-Sukma
Durg	15	Bemetara	KGBV Premises Village-Bemetara
Janjgir - Champa	16	Pamgarh	KGBV Premises Village-Sasaha Pamgarh

Name of District	SN	Name of Block	Address of Proposed Girls Hostel
1	2	3	4
Jashpur	17	Patthalgaon	At Proposed Model School in Village- Pandaripani
	18	Kansabel	KGBV Premises Village-Kansalel
	19	Bagicha	KGBV Premises Village-Mahadevdand, Bagicha
Kawrdha	20	Bodla	KGBV Premises Village-Bodla
	21	Kawardha	KGBV Premises Village-Kawardha
	22	Pandaria	KGBV Premises Village-Dullapur, Pandaria
Korba	23	Korba	KGBV Premises Village-Korba
	24	Kartala	KGBV Premises Village-Sendripali
	25	Katghora	KGBV Premises Village-Katghora
	26	Pali	At Proposed Model School in Village- Saila
	27	Pondiuprora	KGBV Premises Village-Pondiuprora
Koriya	28	Bharatpur	KGBV Premises Village-Janakpur
	29	Manendragarh	At Proposed Model School in Village-Kachhaud
Narayanpur	30	Narayanpur	KGBV Premises Village-Sulenga, Narayanpur
Raigarh	31	Lailunga	KGBV Premises Village - Jhagarpur
	32	Dharmjaigarh	KGBV Premises Village - Jamarga
Raipur	33	Biiaigarh	KGBV Premises Village-Bilaigarh
	34	Kasdol	KGBV Premises Village-Kasdol

Name of District	SN	Name of Block	Address of Proposed Girls Hostel
1	2	3	4
	35	Baloda Bazar	KGBV Premises Village-Baloda Bazar
	36	Bhatapara	KGBV Premises Village-Bhatapara
Bastar	37	Bastar	KGBV Premises Village-Takraguda Bastar
	38	Kondagaon	KGBV Premises Village-Ardka Chipra, Kondagaon
	39	Jagdalpur	KGBV Premises Village-Ghatpdmor Jagdalpur
	40	Tokapal	KGBV Premises Village-Bade Morthpal, Tokapal
	41	Darbha	At Proposed Model School in Village-Gumadpal
	42	Lohandiguda	At Proposed Model School in Village-Lamdaguda
	43	Bastanar	At Proposed Model School in Village-Lalaguda
	44	Makadi	KGBV Premises Village-Makadi
	45	Pharasgaon	KGBV Premises Village-Boregaon
Narayanpur	46	Orchha	KGBV Premises Village-Orchha
Surguja	47	Mainpat	KGBV Premises Village-Mainpat
	48	Lakhanpur	KGBV Premises Village-Lakhanpur
	49	Ramanujganj	KGBV Premises Village-Ramanujganj
	50	Odagi	Village Panchayat - Klamanjan
	51	Sitapur	KGBV Premises Village-Sitapur
	52	Ambikapur	KGBV Premises Village-Ambikapur

Name of District	SN	Name of Block	Address of Proposed Girls Hostel
1	2	3	4
	53	Rajpur	KGBV Premises Village-Rajpur
	54	Udaipur	KGBV Premises Village-Udaipur
	55	Pratappur	KGBV Premises Village-Prapatppur
	56	Wadrafnagr	KGBV Premises Village-handariparar, Wadrafnagar
	57	Batoli	KGBV Premises Village-Batoli
	58	Lundra	KGBV Premises Village-Lundra
	59	Surjpur	KGBV Premises Village-Surajpur
	60	Bhaiyathan	KGBV Premises Village-Bhaiyathan
	61	Kusmi	KGBV Premises Village-Kusmi
Kawrdha	62	Pandriya	KGBV Premises Village-Pandariya
Koriya	63	Khardgawa	KGBV Premises Village-Khardgawa
Raipur	64	Mainpur	KGBV Premises Village-Mainpur
	65	Devbhog	KGBV Premises Village-Devbhog
Dantewada	66	Kuakonda	KGBV Premises Village-Kuakonda
	67	Chhindgarh	KGBV Premises Village-Chhindgarh
	68	Dantewada	KGBV Premises Village-Dantewada
	69	Gidam	KGBV Premises Village-Gidam
	70	Katekalyan	At Proposed Model School in Village-Badegudra
	71	Konta	At Proposed Model School in Village-Konta

Name of District	SN	Name of Block	Address of Proposed Girls Hostel
1	2	3	4
Bijapur	72	Bijapur	KGBV Premises Village-Bijapur
	73	Usoor	KGBV Premises Village-Usoor
	74	Bhairamgarh	KGBV Premises Village-Bhairamgarh

Mission Director
Rajiv Gandhi Shiksha Mission
Chhattisgarh Raipur

परिशिष्ट– दो

Posts proposed for 100 Seater Girls Hostel

	Name of Post	Unit per Hostel	Total Post for 74 Hostel
1	Chowkidar @ Rs. 3,000 per month	01	74
2	Head Cook (@ Rs. 3,000 per month	01	74
3	Assistant Cook(@ Rs. 2,500 per month	02	148

Mission Director
Rajiv Gandhi Shiksha Mission
Chhattisgarh Raipur